दिनांक 24 MAR 2006
को विधानसभा
में प्रस्तुत की गई।

भारत के
नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष

(राजस्व प्राप्तियाँ)

मध्य प्रदेश सरकार

http://cagindia.org/states/madhyapradesh/2006

विषय सूची

कंडिका		*पृष्ठ*
	प्रस्तावना	v
	विहंगावलोकन	vii
	अध्याय – 1 : सामान्य	
1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1
1.2	बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में भिन्नतायें	5
1.3	संग्रहण की लागत	6
1.4	प्रति निर्धारिती विक्रय कर का संग्रहण	7
1.5	राजस्व के बकाया का विश्लेषण	7
1.6	बकाया कर निर्धारण	8
1.7	कर अपवंचन	9
1.8	वापसियां	9
1.9	लेखा परीक्षा के परिणाम	10
1.10	उत्तर दायित्व के प्रवर्तन एवं शासकीय हितों को संरक्षित न कर पाने में उच्चाधिकारियों की विफलता	10
1.11	प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के प्रत्युत्तर	12
1.12	लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुवर्तन	12
	अध्याय – 2 : वाणिज्यिक कर	
2.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	13
2.2	**समीक्षा**– वाणिज्यिक कर विभाग में लंबित राजस्व वसूली प्रमाण पत्र	14
2.3	कर की गलत दर का लागू किया जाना	25
2.4	क्रय कर का अनारोपण/कम आरोपण	27
2.5	बंद इकाईयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न होना	28

कंडिका		पृष्ठ
2.6	गलत ढंग से कर मुक्त मानी गई बिक्रियों पर कर का अनारोपण	28
2.7	कर मुक्ति एवं आस्थगन की कर भुगतान से अनियमित स्वीकृति	29
2.8	कर योग्य विक्रय राशि का गलत निर्धारण	30
2.9	प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण	31
2.10	कर चुकी बिक्री की गलत कटौती	31
2.11	वृत्ति कर की वसूली न होना	32
	अध्याय – 3 : राज्य उत्पाद शुल्क	
3.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	35
3.2	शर्करा की मात्रा के अनुरूप अल्कोहल का उत्पादन न होना	36
3.3	विदेशी मदिरा का निवर्तन न कियेजाने से आबकारी शुल्क प्राप्त न होना	37
3.4	निर्यात की गई विदेशी मदिरा/बीयर की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना	38
3.5	सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा के विक्रय दरो का गलत निर्धारण	38
3.6	आसवनी में स्पिरिट का न्यूनतम स्कंध सधारण न किया जाना	39
3.7	लागत मूल्य की अंतर राशि वसूल न होना	40
3.8	शासकीय स्थापना पर हुए व्यय की वसूली न होना	41
3.9	देशी मदिरा की अमान्य छीजन की अनियमित छूट	41
3.10	फुटकर विक्रेताओं से खाली बोतलों की कीमत तथा सीलिंग प्रभारों की वसूली न होना	42
	अध्याय – 4 : वाहनों पर कर	
4.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	43
4.2	मोटर वाहन कर का बकाया	44
4.3	वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होना	52
4.4	अंतर्राज्यीय मार्गो पर संचालित अन्य राज्यों के लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण	54
4.5	शुल्क आरोपण के बिना वाहनों को आरक्षित पंजीयन संख्याओं का आवंटन किए जाने के कारण राजस्व की हानि	54

कंडिका		पृष्ठ
	अध्याय – 5 : अन्य कर प्राप्तियाँ	
	अ. मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	
5.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	57
5.2	सहकारी गृह निर्माण समितियों के पक्ष में विलेखों के निष्पादन से राजस्व की हानि	59
5.3	मुद्रांक शुल्क की वसूली न होना	60
5.4	अनेक सुविभिन्न विषयों से संबंधित विलेख	60
5.5	विलेखों का गलत वर्गीकरण	61
5.6	प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब	62
	ब. मनोरंजन शुल्क	
5.7	केबल आपरेटरों से मनोंरंजन शुल्क की वसूली न होना	63
	स. भू – राजस्व	
5.8	राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों का पंजीबद्ध न किया जाना	63
5.9	प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना	64
	अध्याय – 6 : वन प्राप्तियाँ	
6.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	65
6.2	इमारती लकड़ी के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि	66
6.3	वनोपज की निवर्तन प्रणाली में विफलता के कारण राजस्व की हानि	69
	अध्याय – 7 : खनन प्राप्तियाँ	
7.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	71
7.2	ब्याज की हानि एवं प्रक्रिया व्यय का अनिर्धारण	72
7.3	अनिवार्य किराए का अनारोपण	72
7.4	राज्यांश/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण	73
7.5	राज्यांश एवं ब्याज का अपवंचन/कम वसूली करना	74
	अध्याय 8 : अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ	
8.1	लेखा परीक्षा के परिणाम	75
	लोक निर्माण विभाग	
8.2	शासकीय आवासों का गलत वर्गीकरण से लायसेन्स फीस का कम आरोपण / वसूली	78

प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत राज्य शासन की राजस्व प्राप्तियों की लेखा परीक्षा की जाती है । इस प्रतिवेदन में वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, भू–राजस्व, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां, खनन प्राप्तियॉं तथा राज्य की अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों पर राजस्व के लेखा परीक्षा परिणाम प्रस्तुत किये गए हैं ।

इस प्रतिवेदन में वर्णित प्रकरण उनमें से हैं जो वर्ष 2004–05 की अवधि के मध्य नमूना लेखा परीक्षा के समय दृष्टिगत हुए अथवा पूर्व वर्षो में दृष्टिगत हुए परन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके थे ।

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज, शास्ति आदि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित 41.96 करोड़ रूपये से अन्तर्निहित एक समीक्षा सहित 38 कंडिकायें सम्मिलित हैं । कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं ।

I. सामान्य

वर्ष 2004–2005 के दौरान मध्य प्रदेश शासन द्वारा 12,234.83 करोड़ रूपये का सकल राजस्व वसूल किया गया, जिसमें 7,772.97 करोड़ रूपये का कर – राजस्व और 4,461.86 करोड़ रूपये का कर–भिन्न राजस्व सम्मिलित है । शासन ने भारत सरकार से 5,076.68 करोड़ रूपये विभाज्य संघीय करों की शुद्व प्राप्तियों के अंश तथा सहायक अनुदान (2,431.74 करोड़ रूपये) के रूप में प्राप्त किए । इस प्रकार वर्ष के दौरान 19,743.25 करोड़ रूपये की कुल प्राप्तियां हुई । वाणिज्यिक कर/केन्द्रीय विक्रय कर (3,912.01 करोड़ रूपये) कर राजस्व का मुख्य भाग (50.32 प्रतिशत) है । अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग से प्राप्तियां (733.72 करोड़ रूपये) कर भिन्न राजस्व की 16.44 प्रतिशत लेखांकित हुई ।

(कंडिका 1.1.1 से 1.1.3)

वाणिज्यिक कर , राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, भू–राजस्व, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियां, वन प्राप्तियां तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की वर्ष 2004–05 के दौरान की गई नमूना जांच में 1,31,736 प्रकरणों में 992.36 करोड़ रूपये राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानियां आदि पाई गई । वर्ष के दौरान विभागों ने वर्ष 2004–05 तथा पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 12,2867 प्रकरणों में 3,19.03 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण आदि विभागों द्वारा स्वीकार किया गया ।

(कंडिका 1.9)

वाणिज्यिक कर विभाग में राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के लंबन पर समीक्षा में निम्न तथ्य दृष्टिगत हुए :

- 99 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के जारी करने/पंजीकरण में 15 दिन से 34 माह का विलम्ब ।

(कंडिका 2.2.10)

- 71 प्रकरणों में कुर्क/जब्त की गई सम्पत्ति अनिवर्तन के फलस्वरूप शासकीय देयों की वसूली न होना ।

(कंडिका 2.2.13)

- राज्य के बाहर भेजे गए 160 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों की मांग के संबंध में उचित अनुवर्ती कार्रवाई न करना ।

(कंडिका 2.2.14)

- कर की गलत दर लागू किए जाने के परिणामस्वरूप 1.43 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

(कंडिका 2.3)

- बंद इकाइयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न किए जाने के कारण शासन 2.96 करोड़ रूपये के राजस्व से वंचित रहा ।

(कंडिका 2.5)

- विक्रय की वस्तुओं को कर मुक्त मानकर कटौती की गलत छूट देने के परिणामस्वरूप 1.54 करोड़ रूपये के कर का अनारोपण हुआ ।

(कंडिका 2.6)

III राज्य उत्पाद शुल्क

- शर्करा अंश की मात्रा के अनुरूप/अनुसार अल्कोहल का उत्पादन न होने के परिणामस्वरूप 64.82 लाख रूपये के कर का कम आरोपण हुआ ।

(कंडिका 3.2.1)

- विदेशी मदिरा/बीयर के अनामिस्वीकृत निर्यात पर 4.06 करोड़ रूपये के उत्पाद शुल्क की वसूली न होना ।

(कंडिका 3.4)

IV वाहनों पर कर

- वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न होने के परिणामस्वरूप 5.80 करोड़ रूपये का राजस्व वसूली न होना ।

(कंडिका 4.3)

- शुल्क आरोपण के बगैर वाहनों को आरक्षित पंजीयन/पंजीकरण संख्याओं का आवंटन किए जाने के कारण 47.12 लाख रूपये की राजस्व हानि ।

(कंडिका 4.5)

V अन्य कर प्राप्तियां

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

- 28.74 करोड़ रूपये के बंधक पत्रों पर 1.15 करोड़ रूपये के आरोपणीय मुद्रांक शुल्क का भुगतान किए बगैर निष्पादन लेकिन पंजीकृत न होने के फलस्वरूप 1.15 करोड़ रूपये की वसूली प्राप्त नहीं।

(कंडिका 5.3)

- दो विलेखों का गलत वर्गीकरण किए जाने के परिणामस्वरूप 1.80 करोड़ रूपये के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली ।

(कंडिका 5.4)

VI वन प्राप्तियां

- इमारती लकड़ी एवं जलाऊ लकड़ी के कम उत्पादन के कारण 3.02 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि ।

(कंडिका 6.2)

VII खनन प्राप्तियां

- चूक कर्ताओं को जारी राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों में 1.81 करोड़ रूपये की ब्याज और प्रक्रिया व्यय शामिल न करना ।

(कंडिका 7.2)

VII अन्य कर – भिन्न प्राप्तियां

लोक निर्माण विभाग

- शासकीय आवासों के गलत श्रेणीकरण/वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 5.99 लाख रूपये की लायसेन्स फीस का कम आरोपण ।

(कंडिका 8.2)

अध्याय – 1 सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2004–05 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान एवं विभाज्य संघीय करों का राज्य अंशदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तदनुरूप ऑकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रूपयों में)

क्र.		2000–2001	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–05
I	राज्य शासन द्वारा वसूल किया गया राजस्व					
(क)	कर राजस्व	5,639.58	4,678.98	6,164.55	6,788.86	7,772.97
(ख)	कर–भिन्न राजस्व	1,724.33	1,601.68	1,635.48	1,479.82	4,461.86
	योग	*7,363.91*	*6,280.66*	*7,800.03*	*8,268.68*	*12,234.83*
II	भारत सरकार से प्राप्तियॉं					
(क)	विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	3,955.51	3,439.30	3,728.73	4,247.14	5,076.68[1]
(ख)	सहायता अनुदान	1,519.88	1,491.12	1,861.64	1,773.14	2,431.74
	योग	*5,475.39*	*4,930.42*	*5,590.37*	*6,020.28*	*7,508.42*
III	**राज्य की कुल प्राप्तियॉं**	**12,839.30**	**11,211.08**	**13,390.40**	**14,288.96**	**19,743.25**
IV	*III से I का प्रतिशत*	*57*	*56*	*58*	*58*	*62*

[1] विस्तृत विवरण के लिए कृपया मध्य प्रदेश शासन के वर्ष 2004–05 के वित्त लेखे के विवरण पत्रक क्रमांक 11 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षो से" का अवलोकन करें । शीर्ष "0021 आय पर निगम कर से भिन्न कर राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश" के ऑकड़े, जो वित्त लेखे में कर राजस्व के अन्तर्गत लेखांकित है, को राज्य द्वारा वसूल की गई प्राप्तियों में से हटा दिया गया है और इस विवरण पत्रक में विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में शामिल किया गया है ।

1.1.2 पूर्ववर्ती चार वर्षों के आँकड़ों सहित वर्ष 2004–2005 के दौरान वसूल किए गए कर राजस्व का विवरण नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	*राजस्व शीर्ष*	*2000–2001*	*2001–2002*	*2002–2003*	*2003–2004*	*2004–05*	*2003–2004 की तुलना में 2004–2005 में वृद्धि (+) / कमी (–) का प्रतिशत*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	(क) विक्रय कर (ख) केन्द्रीय विक्रय कर	2,766.57	2,360.74	2,906.20	3,293.26	3,912.01	(+) 18.79
2	राज्य उत्पाद शुल्क	974.94	704.68	890.32	1,085.89	1,192.36	(+) 9.80
3	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	477.08	444.96	535.05	614.49	788.71	(+) 28.35
4	विद्युत पर कर एवं शुल्क	447.91	268.19	801.26	697.06	707.18	(+) 1.45
5	वाहनों पर कर	405.90	393.33	428.64	454.92	488.65	(+) 7.41
6	माल एवं यात्रियों पर कर	333.85	262.40	351.20	390.99	468.07	(+) 19.71
7	आय एवं व्यय पर अन्य कर, वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय तथा रोजगार पर कर	167.50	173.05	187.44	188.90	150.21	(-) 20.48
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	22.95	19.99	20.08	15.32	14.28	(-) 6.79
9	भू–राजस्व	38.47	48.21	40.44	43.63	46.80	(+) 7.27
10	होटल प्राप्तियाँ	4.41	3.43	3.92	4.40	4.75	(+) 7.95

1	2	3	4	5	6	7	8
11	कृषि भूमि के अतिरिक्त स्थायी सम्पत्ति पर कर					(–) 0.05[1]	
	योग	*5639.58*	*4678.98*	*6164.55*	*6788.86*	*7,772.97*	

सम्बंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2003–2004 की तुलना में वर्ष 2004–05 के दौरान प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों का नीचे उल्लेख किया गया है :–

विक्रय कर/केन्द्रीय विक्रय कर : विक्रय कर अधिनियम के तहत कुछ वस्तुओं पर कर की दर में वृद्वि के कारण 18.79 प्रतिशत की वृद्वि हुई ।

मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस : *प्राथमिक* गृह निर्माण समितियों को छूट समाप्त करने से गिरवी पर रियायत के दुरूपयोग की रोक, किराये की राशि पर शुल्क आरोपण व महिलाओं के शेयर की दर में वृद्वि के कारण 28.35 प्रतिशत की वृद्वि हुई ।

माल एवं यात्रियों पर कर : " स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर तथा राजस्व में सामान्य वृद्धि के कारण 19.71 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

यद्यपि अन्य विभागों से भिन्नताओं के कारण मांगे गये थे , पर संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2005)

[1] वापसी में कटौती के कारण (2004–05 के वित्तीय लेखों के अनुसार)

1.1.3 विगत चार वर्षों के आंकड़ों सहित वर्ष 2004–05 के दौरान वसूल किए गए प्रमुख कर– भिन्न राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	*राजस्व शीर्ष*	*2000–2001*	*2001–2002*	*2002–2003*	*2003–2004*	*2004–05*	*2003–2004 की तुलना में 2004–2005 में वृद्धि (+)/कमी (–) का प्रतिशत*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	ब्याज प्राप्तियॉं	184.56	246.59	32.05	19.22	25.90	(+) 34.76
2	डेयरी विकास	0.04	–	—	—	—	—
3	अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ	208.14	237.68	249.32	144.57	157.48	(+) 8.93
4	वानिकी एवं वन्य जीवन	372.56	306.45	497.30	496.75	559.11	(+) 12.55
5	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	721.04	528.39	590.69	646.71	733.72	(+) 13.45
6	विविध सामान्य सेवाऐं (लाटरी प्राप्तियाँ सहित)	75.17	141.03	120.94	22.92	79.61	(+) 247.34
7	शक्ति	0.28	0.05	0.24	0.12	2,749.49	(+) 2291141.67
8	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	47.17	39.15	24.64	37.80	37.92	(+) 0.32
9	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	8.76	16.14	20.36	10.98	16.76	(+) 52.64
10	सहकारिता	16.79	13.23	14.45	15.60	17.92	(+) 14.87
11	लोक निर्माण	21.84	6.75	8.57	9.09	9.94	(+) 9.35
12	पुलिस	32.95	42.49	39.23	24.99	23.23	(-) 7.04
13	अन्य प्रशासनिक सेवाऐं	35.03	23.73	37.69	51.07	50.78	(-) 0.57
	योग	*1,724.33*	*1,601.68*	*1,635.48*	*1,479.82*	*4,461.86*	(+) *201.51*

सम्बंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2003–04 की तुलना में वर्ष 2004–05 के दौरान प्राप्तियों में भिन्नता के कारण नीचे दिये गये हैं :

विविध एवं सामान्य सेवाएं : शीर्ष बेदावा निक्षेप के अंतर्गत अधिक प्राप्तियों के कारण 247.34 प्रतिशत की वृद्वि हुई ।

वन एवं वन्य जीवन : तेन्दु पत्ते पर कर की दर में वृद्वि से 12.55 प्रतिशत की वृद्वि हुई ।

शक्ति : अहलूवालिया समिति की सिफारिशें लागू करने से 22,91,141.67 प्रतिशत की वृद्वि हूई ।

अलोह खनिज व धातुकर्म उद्योग : अन्य प्राप्तियां शीर्ष के तहत अधिक प्राप्ति होने से 13.45 प्रतिशत की वृद्वि हुई ।

अन्य विभागों से भिन्नता संबंधी कारण यद्यपि मांगे गये थे , पर प्राप्त नहीं हुए । (दिसम्बर 2005)

1.2 बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नताएं

(क) कर एवं कर भिन्न राजस्व के प्रमुख शीर्षो में वर्ष 2004–05 के बजट अनुमानों तथा वास्तविक राजस्व प्राप्तियों में भिन्नताऐं नीचे दर्शाई गई है :

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	*राजस्व शीर्ष*	*बजट अनुमान*	*वास्तविक*	*भिन्नताएं वृद्धि (+) या कमी (–)*	*भिन्नता का प्रतिशत*
क.	कर राजस्व				
1.	विक्रय कर	3,960.00	3,912.01	(-) 47.99	1.21
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,213.06	1,192.36	(-) 20.70	1.71
3.	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	678.05	788.71	(+)110.66	16.32
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	740.95	707.18	(-) 33.77	4.56
5.	भू राजस्व	61.38	46.80	(-)14.58	23.75
ख	कर–भिन्न राजस्व				
1.	वानिकी एवं वन्य जीवन	450.00	559.11	(+)109.11	24.25
2.	अलौह धातु खनन एवं धातु कर्म उद्योग	710.32	733.72	(+) 23.40	3.29
3.	सहकारिता	11.33	17.92	(+) 6.59	58.16

विभागों से बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में सारभूत भिन्नता के कारण यद्यपि मंगाये गए थे, पर प्राप्त नहीं हुए हैं । (दिसम्बर 2005)

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के सकल संग्रहण, संग्रहण पर किया गया व्यय तथा सकल संग्रहण पर ऐसे किए गए व्यय का प्रतिशत, वर्ष 2003–04 में सकल संग्रहण पर व्यय के राष्ट्रीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दर्शाये अनुसार था :

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	राजस्व संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2003–2004 में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत
1	विक्रय कर	2002–03	2,906.21	41.14	1.42	
		2003–04	3,293.26	50.84	1.54	1.15
		2004–05	3,912.01	45.06	1.15	
2	वाहनों पर कर तथा माल एवं यात्रियों पर कर	2002–03	779.84	14.71	1.89	
		2003–04	845.91	16.27	1.92	2.57
		2004–05	956.72	11.87	1.24	
3	राज्य उत्पाद शुल्क	2002–03	890.32	106.28	11.94	
		2003–04	1,085.89	226.27	20.84	3.81
		2004–05	1,192.36	230.92	19.37	
4	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	2002–03	535.05	56.48	10.56	
		2003–04	614.49	60.37	9.82	3.66
		2004–05	788.71	75.28	9.54	

1.4 प्रति निर्धारिती विक्रय कर का संग्रहण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	*निर्धारितियों की संख्या*	*विक्रय कर राजस्व*[2]	*राजस्व/निर्धारिती*
2000–2001	1,53,735	2,272.42	0.015
2001–2002	2,10,104	2,393.44	0.011
2002–2003	2,24,298	2,923.62	0.013
2003–2004	2,23,157	3,370.75	0.015
2004–2005	2,33,672	3,977.88	0.017

वर्ष 2003–04 के दौरान व्यवसायी/निर्धारिती के कम होने पर 447.13 करोड़ रूपये की राजस्व वृद्वि हुई जबकि वर्ष 2004–05 के दौरान व्यवसायी/निर्धारिती में वृद्वि के बावजूद भी केवल 607.13 करोड़ रूपये की राजस्व वृद्वि हुई । राजस्व में वृद्वि न होने के कारण विभाग से मांगे गये थे, जो कि अपेक्षित है। (दिसम्बर 2005)

1.5 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2005 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षो में बकाया राजस्व की राशि 1105.92 करोड़ रूपये थी जिसमें से 67.84 करोड़ रूपये (परिवहन विभाग व वाणिज्यिक कर विभाग को छोड़कर) की राशि निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार 5 वर्षो से अधिक समय से बकाया थी ।

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	*राजस्व शीर्ष*	*31 मार्च 2005 को बकाया राशि*	*31 मार्च 2005 को 5 वर्षो से अधिक समय से बकाया राशि*
1.	वाहनों पर कर	37.84	उपलब्ध नहीं कराई गई
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	54.24	35.99
3.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	27.96	7.21
4	विक्रय कर	766.89	उपलब्ध नहीं कराई गई
5	अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग	153.04 (130.53करोड़रूपये विवादित)	11.54 (2.26 करोड़ रूपये विवादित)
6	सहकारिता	9.20	4.18
7	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस	56.75	8.92
	योग	***1,105.92***	***67.84***

[2] विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़े वित्तीय लेखे के आंकड़ों से भिन्न हैं ।

पांच वर्षों से अधिक बकाया राशि का विवरण वाणिज्यिक कर विभाग तथा परिवहन द्वारा नहीं दिया गया है । 153.04 करोड़ रूपये में से 130.53 करोड़ रूपये विवादित राशि है जो कि 85.29 प्रतिशत है (खनन विभाग) । यह विभाग के नियंत्रण की कमजोरी को इंगित करता है ।

1.6 *निर्धारण का बकाया*

विक्रय कर , व्यवसाय कर , गन्ने पर क्रय कर [⊗], प्रवेश कर , पट्टा कर [⊗] , विलासिता कर तथा निर्माण संविदाओं आदि पर कर के संबंध में विक्रय कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गये वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारण हेतु लंबित प्रकरण , वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य हो चुके प्रकरण , वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण तथा वर्ष 2004–05 के अंत में निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

कर का नाम		*प्रारंभिक शेष*	*वर्ष के दौरान निर्धारण किए जाने योग्य नये प्रकरण*	*निर्धारण के लिए शेष कुल प्रकरण*	*वर्ष के दौरान निराकृत किए गए प्रकरण*	*वर्ष के अंत में शेष*	*कालम 4 से 5 का प्रतिशत*
1.		*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*	*7.*
वित विभाग							
विक्रय कर	*2003–04*	*2,59,313*	*3,23,197*	*5,82,510*	*2,96,147*	*2,86,363*	*50.84*
	2004–05	*2,86,363*	*3,26,262*	*6,12,625*	*3,31,915*	*2,80,710*	*54.18*
व्यवसाय कर	*2003–04*	*83,576*	*99,390*	*1,82,966*	*94,912*	*88,054*	*51.87*
	2004–05	*88,054*	*1,32,834*	*2,20,888*	*1,04,441*	*1,16,477*	*47.27*
प्रवेश कर	*2003–04*	*1,36,509*	*1,97,180*	*3,33,689*	*1,73,980*	*1,59,709*	*52.14*
	2004–05	*1,59,709*	*1,98,356*	*3,58,065*	*1,98,508*	*1,59,557*	*55.44*
विलासिता कर	*2003–04*	*471*	*681*	*1,152*	*713*	*439*	*61.89*
	2004–05	*439*	*755*	*1,194*	*725*	*469*	*60.72*
निर्माण संविदाओं पर कर	*2003–04*	*1,201*	*883*	*2,084*	*1,028*	*1,056*	*49.33*
	2004–05	*1,056*	*5,898*	*6,954*	*3,747*	*3,207*	*53.88*
योग	*2003–04*	*4,81,070*	*6,21,331*	*11,02,401*	*5,66,780*	*5,35,621*	*51.41*
	2004–05	*5,35,621*	*6,64,105*	*11,99,726*	*6,39,306*	*5,60,420*	*53.29*

उपरोक्त स्थिति व्यवसाय कर तथा विलासिता कर के प्रकरणों के निवर्तन में निम्न स्तर की ओर इंगित करती है।

[⊗] आंकड़े निरंक हैं ।

1.7 कर अपवंचन

विभागों द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार विक्रय कर तथा राज्य उत्पाद शुल्क विभागों द्वारा पकड़े गए कर अपवंचन के प्रकरणों, निराकृत प्रकरणों तथा अतिरिक्त कर हेतु सृजित मांग से संबंधित विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	*कर/शुल्क का नाम*	*31 मार्च 2004 को लंबित प्रकरण*	*2004–2005 के दौरान पकड़े गए प्रकरण*	*योग*	*उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्धारण/जांच पूर्ण हो चुकी थी तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग सृजित की गई*		*31 मार्च 2004 को निराकरण हेतु लंबित प्रकरणों की संख्या*
					प्रकरणों की संख्या	*मांग की गई*	
1	विक्रय कर	150	136	286	107	94.79	179
2	राज्य उत्पाद शुल्क	1,304	2,919	4,223	2,851	0.09	1,372

1.8 वापसियां

विभाग द्वारा प्रतिवेदित जानकारी के अनुसार वर्ष 2004–05 के प्रारंभ में लंबित वापसी प्रकरणों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान वापसियों तथा वर्ष 2004–05 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	*श्रेणी*	*राज्य उत्पाद शुल्क*		*वाणिज्यिक कर*		*निर्माण संविदा पर कर*	
		प्रकरणों की संख्या	*राशि*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	वर्ष के प्रारम्भ में लंबित दावे	158	0.94	855	56.26	58	4.18
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	183	2.01	6,942	645.93	533	24.65
3	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	24	0.21	6,437	546.61	531	25.84
4	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	317	2.74	1,360	155.58	60	2.99

1.9 *लेखा परीक्षा के परिणाम*

वर्ष 2004–05 में विक्रय कर, भू–राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 1,31,736 प्रकरणों में 992.36 करोड़ रूपये की राजस्व राशि का अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि प्रकट हुई । विभागों द्वारा 2004–05 वर्ष के दौरान तथा पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए 1,22,867 प्रकरणों में 319.03 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण तथा अन्य हानियों को स्वीकार किया गया। शेष प्रकरणों के सम्बंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस प्रतिवेदन में 41.96 करोड़ रूपये के करों, शुल्कों, ब्याज तथा शास्तियों आदि के अनारोपण/कम आरोपण से सम्बंधित एक समीक्षा सहित 38 कंडिकायें समाविष्ट हैं । विभागों/शासन ने 13.24 करोड़ रूपये की लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया जिसमें से 27.70 लाख रूपये की वसूली अगस्त 2005 तक की जा चुकी है । विभाग द्वारा जो अनियमितता स्वीकार नहीं गई है, उनमें विभाग की अस्वीकृति के कारण संबंधित कंडिकाओं में सम्मिलित किये गये है उनके प्रत्युत्तर भी दिये गये है। तथापि शासन से उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (दिसम्बर 2005) ।

1.10 *उत्तरदायित्व के प्रवर्तन एवं शासकीय हितों को संरक्षित न कर पाने में उच्चाधिकारियों की विफलता ।*

महालेखाकार (निर्माण तथा राजस्व प्राप्ति लेखापरीक्षा) मध्य प्रदेश विधि एवं नियमों के प्रावधानों के तहत शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण लेखों का रख रखाव और अन्य अभिलेखों की सामयिक नमूना जांच तथा सत्यापन हेतु निरीक्षण करते हैं । इन निरीक्षणों की अनुवर्ती निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.), निरीक्षण के समय निकाली गई तथा स्थल पर समाप्त नहीं की जा सकी, अनियमितताओं सहित कार्यालय प्रमुखों को शीघ्र उचित कार्यवाही हेतु तथा उच्चाधिकारियों को प्रतियां सहित जारी की जाती हैं । कार्यालय प्रमुखों/शासन से निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रेक्षणों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है तथा चूकों और कमियों के शीघ्र निराकरण कर महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी दिनांक से छः सप्ताह के भीतर पालन पूर्ति प्रतिवेदन भेजना अपेक्षित है । गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को शासन तथा विभागीय प्रमुखों को प्रतिवेदित किया जाता है ।

मध्य प्रदेश शासन के अन्तर्गत वाणिज्यिक कर, भू–राजस्व, पंजीयन तथा अन्य विभागों के विभिन्न कार्यालयों से सम्बंधित दिसम्बर 2004 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि वर्ष 1980–81 से दिसम्बर 2004 के अंत तक 6,085 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बंधित 20,146 कंडिकाएं लंबित रहीं । लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कंडिकाओं की विभागवार स्थिति निम्नानुसार थी :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	*विभाग*	*निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या*	*कंडिकाओं की संख्या*	*राशि*
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*
1	वाणिज्यिक कर	898	5,019	381.64
2	भू–राजस्व	1,484	3,830	1,174.08
3	राज्य उत्पाद	365	1,247	550.55
4	मनोरंजन	156	226	4.16
5	खनन	224	698	566.41
6	मोटर वाहन कर	257	1,572	306.81
7	विद्युत	80	251	175.58
8	पंजीयन तथा मुद्रांक शुल्क	886	1,999	75.63
9	डी.आर.ए.पी. (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	1,103	3,670	397.43
10	वन	632	1,634	868.54
	योग	*6,085*	*20,146*	*4,500.83*

वाणिज्यिक कर, भू–राजस्व तथा पंजीयन विभाग से सम्बंधित निरीक्षण प्रतिवेदन जो उत्तर प्राप्त न होने के कारण लंबित थी, की समीक्षा में पता चला कि कार्यालय प्रमुख तथा विभागाध्यक्षों द्वारा बहुत से निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर प्रेषित नहीं किया गया जो निरीक्षण प्रतिवेदनों में महालेखाकार द्वारा इंगित किए गए कमियों, चूकों तथा अनियमितताओं के सम्बंध में कार्यवाही प्रारंभ करने में उनकी विफलता को इंगित करता है । विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों, जिन्हें अर्धवार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थिति के बारे में अवगत कराया गया था, द्वारा भी विभाग से सम्बंधित कार्यालयों द्वारा त्वरित एवं समयोचित कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया ।

गंभीर वित्तीय अनियमितताओं तथा शासकीय हानि को लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने के बावजूद चूककर्ता अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही न किए जाने से इनकी निरन्तरता को बढ़ावा मिला। यह संस्तुति की जाती है कि शासन, उन अधिकारियों के विरूद्ध, जो निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर प्रेषित करने में विफल रहे, कार्यवाही हेतु प्रक्रिया.की पुनः जाँच करें, एक समयबद्ध प्रक्रिया से हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली हेतु कार्यवाही

करें तथा विभाग में लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों के उचित प्रत्युत्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में सुधार सुनिश्चित करें ।

1.11 प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर विभागों के प्रत्युत्तर

लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समावेश करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं को सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा के निष्कर्षो के प्रति ध्यान आकर्षित करते हुए छः सप्ताह के अन्दर उनके प्रत्युत्तर भेजने के लिए निवेदन करते हुए अग्रेषित किया गया । विभागों से उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति को लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट प्रत्येक कंडिका के अंत में निरपवाद रूप से दर्शाया गया है ।

इस प्रतिवेदन में समाविष्ट प्रारूप कंडिकाओं को सम्बंधित विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके नाम से भेजा गया था । विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों ने प्रारूप कंडिकाओं के उत्तर प्रेषित नहीं किए । इन कंडिकाओं को विभाग के प्रमुख सचिवों/सचिवों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है ।

1.12 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुवर्तन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2004 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) 01 अगस्त 2005 को विधानसभा के पटल पर रखा गया था । वर्ष 1999–2000 तक के प्रतिवेदनों पर चर्चा की जा चुकी है ।

अवधि 2000–01 से 2002–03 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आंशिक रूप से चर्चा की जा चुकी है तथा लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) की आंशिक अनुशंसायें प्रांप्त हो चुकी हैं । लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वर्ष 1992–93 तक के अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त हो चुके हैं । वर्ष 1993–94 तथा आगामी वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर आठ विभागों से अनुवर्तन पालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अध्याय – 2 वाणिज्यिक कर

2.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित कर निर्धारण प्रकरणों एवं अन्य अभिलेखों की नमूना जांच में 1,099 प्रकरणों में सन्निहित 38.58 करोड़ रूपये की राशि के अवनिर्धारण, कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण, कर की गलत दर लागू किये जाने आदि से सम्बंधित प्रकरण प्रकाश में आए, जिनको मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपयों में)

क्रम संख्या	*श्रेणी*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	कर का अनारोपण/ कम आरोपण	276	4.44
2	कर की गलत दर का लागू किया जाना	132	2.49
3	कर योग्य विक्रय राशि का गलत निर्धारण	90	5.95
4	छूट/कटौती/समंजन की गलत स्वीकृति	150	9.19
5	अन्य	450	14.72
6	वाणिज्यिक कर विभाग में लंबित राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों की समीक्षा	1	1.79
	योग	***1,099***	***38.58***

वर्ष 2004–05 के दौरान , विभाग ने 29 प्रकरणों जिनमें 1.05 करोड़ रूपये अंतर्निहित थे, के अवनिर्धारण स्वीकार किया । इन प्रकरणों में 20 प्रकरण 94.41 लाख रूपये अंतर्निहित के वर्ष 2004–05 से संबंधित थे और शेष पूर्व वर्षो के थे ।

कुछ दृष्टात्मक प्रकरणों जिनमें 8.88 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है तथा वाणिज्यिक कर विभाग में लंबित राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र पर समीक्षा जिसमें 1.79 करोड़ रूपये अन्तर्निहित प्रकाश में आये महत्वपूर्ण प्रकरणों को इस अध्याय में दर्शाया गया है ।

2.2 वाणिज्यिक कर विभाग में लंबित राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों की समीक्षा

विशेषताऐं

- 99 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र संस्थापित करने में 15 दिन से 34 माह तक विलम्ब। **(कंडिका 2.2.10)**
- विभाग द्वारा 71 प्रकरणों में कुर्क सम्पत्ति को निवर्तन न करने के फलस्वरूप शासकीय देय प्राप्त न होना । **(कंडिका 2.2.13)**
- शासकीय देय को प्राप्त करने हेतु एक सौ साठ राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र राज्य के बाहर भेजे गये थे । उनमें उसकी वसूली हेतु कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई । **(कंडिका 2.2.14)**

2.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम,1994 (अधिनियम) में उस व्यवसायी से जिसका वाणिज्यिक/क्रय का वार्षिक कारोबार निर्धारित सीमा को पार करता है, वाणिज्यिक कर/क्रय कर आरोपित/संग्रहण करने का प्रावधान है । पंजीकृत व्यवसायी स्व कर निर्धारण के बाद कर के भुगतान के प्रमाण पत्र सहित आवधिक विवरणियां निर्धारित तरीके से कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है । इसके पश्चात् प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अवधि की समाप्ति के दो कलैण्डर वर्ष के भीतर कर निर्धारण किया जाता है । कर की अतिरिक्त मांग राशि की मांग पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर जमा कराने के लिये फार्म 50 जारी किया जाता है । मांग पत्र की राशि जमा कराने में चूक होने की स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में वह व्यक्ति या व्यापारी आता है को यह शक्ति प्रत्यायोजित की गई है कि वह उस राशि की भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली करेगा तथा इसके लिए वह व्यवसायी (चूककर्ता) के नाम, उनके निवास के पते तथा वसूली देयताओं का विवरण अंकित करते हुए राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र जारी करेगा । ऐसी देयताओं को भू–राजस्व के बकाया राशि की तरह वसूल करने के लिये मांग पत्र में निश्चित तारीख तक भुगतान करने के लिये मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता,1959 एवं इसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्रावधान है । चूक होने की स्थिति में, वसूली अधिकारी द्वारा सम्पत्ति कुर्क करने हेतु वारन्ट जारी किया जाता है ।

अधिनियम की धारा 32(13)(बी) में उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी को यह शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी है कि वे इस संहिता के तहत् क्रमशः जिलाधीश, सहायक जिलाधीश या उप जिलाधीश एवं तहसीलदार की सभी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

2.2.2 सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि शासन विचार करे :

- बकाया/राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों पर निगरानी हेतु सूचना तंत्र प्रबंधन को विकसित किया जाय ।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र निर्धारित समय सीमा में जारी कर दिये गये हैं तथा बकाया राशि समयावधि में प्राप्ति हो गई है ।

- अतिरिक्त मांग की सूचना फार्म 50 में देने एवं निर्धारित अधिकारी द्वारा वसूली अधिकारी को भेजे जाने वाले राजस्व प्रमाण–पत्रों को भेजने की समय सीमा निश्चित की जाये ।

2.2.3 संगठनात्मक संरचना

शीर्ष स्तर पर प्रधान सचिव वाणिज्यिक कर विभाग का प्रशासकीय अधिकारी होता है एवं जिसकी सहायता, आयुक्त वाणिज्यिक कर (सी.सी.टी.) करता है जिसका मुख्यालय इन्दौर में है । इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं भोपाल चार मण्डल है । अतिरिक्त आयुक्त इन मण्डल कार्यालयों के प्रमुख होते हैं । इसके अतिरिक्त 13 संभाग है जिनके प्रमुख उप आयुक्त होते हैं तथा 75 वृत्त हैं जिनके प्रमुख वाणिज्यिक कर अधिकारी होते हैं । विभाग में सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, कर निर्धारण प्राधिकारी हैं ।

2.2.4 लेखा परीक्षा का क्षेत्र

127 इकाइयों में से 44 इकाइयों के वर्ष 1999–2000 से 2003–04 के अभिलेखों की नमूना जांच जून 2004 एवं मई 2005 के मध्य की गई ।

2.2.5 लेखा परीक्षा के उद्धेश्य

यह समीक्षा इस दृष्टिकोंण को सुनिश्चित करने हेतु की गई है कि –

- बकाया राशि के संग्रहण हेतु प्रक्रिया/संहिता के प्रावधान और कार्यकारी निर्देशों का पालन का विस्तार ।

- राजस्व वसूली में रूकावट डालने वाले उत्तरदायी अधिनियमों/नियमों में कमी ।

- बकाया राशि की भू–राजस्व के बकाया की भांति पूर्ण क्षमता एवं प्रभावी तरीके से वसूली करने के प्रयास ।

2.2.6 आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा

आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभावी नियंत्रण रखने तथा विभिन्न आन्तरिक व्यवस्था संबंधी कार्यो का मूल्यांकन करने तथा उनकी कमजोरियों को पहचानने की प्रभावकारी पद्वति है । अतः विभाग की यह जिम्मेदारी है कि वह समय समय पर इसकी समीक्षा करें ताकि आन्तरिक नियंत्रण संरचना अद्यतन एवं प्रभावी बनी रहे । वाणिज्यिक कर विभाग में आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा वर्ष 1982 से स्थापित की गई थी ।

कुछ इकाइयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की नमूना लेखा परीक्षा से पता चला कि वर्ष 1999–2000 से 2003–04 के दौरान कोई भी आन्तरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है । आयुक्त वाणिज्यिक कर एवं शासन द्वारा जुलाई 2005 में अवगत कराया कि कर्मचारियों की स्थापना न होने के कारण आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा कार्यरत नहीं है ।

2.2.7 आधनियम/नियमों में कमियां

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर नियम 1995, के अंतर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी व्यवसायी को कर निर्धारण आदेश की अधिकृत प्रति एवं फार्म 50 में मांग सूचना जिसमें यदि कोई राशि अधिनियम एवं नियमों के तहत् भुगतान हेतु उसके द्वारा देय है, तामील करायेगा । तथापि फार्म 50 में नोटिस तामील करवाने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

इन्दौर एवं जबलपुर के दो सहायक आयुक्तों के कार्यालयों एवं पांच वृत्त कार्यालयों [1] के अभिलेखों की सितम्बर 2004 एवं अप्रैल 2005 के मध्य नमूना जांच में यह पाया गया कि 112 प्रकरणों में जिनमें 4.04 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित थी, का मांग पत्र फार्म 50 एवं कर निर्धारण आदेश के निवर्तन होने के एक से 10 माह के विलम्ब से तामील किये गये ।

---

[1] वृत्त 2 भोपाल, वृत्त 1, 2, 3 एवं 4 जबलपुर

नियमों में व्यवसायी को मांग पत्र के तामील होने की समय सीमा का प्रावधान न होने के कारण वसूली प्रक्रिया प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ ।

आगे, अधिनियम के प्रावधानों के तहत् यदि कोई कर की राशि या अन्य कोई राशि भुगतान मांग पत्र 50 में निर्धारित अवधि समाप्त के बाद अदत्त रहती है तो व्यवसायी भुगतान न करने के लिये चूक कर्ता माना जायेगा । बकाया राशि की वसूली म.प्र. भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत् भू–राजस्व के बकाया की भांति की जावेगी । तथापि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों को वसूली अधिकारी को भेजने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी ।

सहायक आयुक्त भोपाल एवं दो वृत्त कार्यालयों इन्दौर एवं जबलपुर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 58 राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र जिनमें 8.08 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित थी, संबंधित कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा जनवरी 2001 से मार्च 2004 के मध्य तैयार होने के तीन सप्ताह से लेकर साड़े चार माह के विलम्ब से वसूली अधिकारी को भेजे गये।

राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों को वसूली अधिकारी को भेजने की समय सीमा निर्धारित न होने के कारण वसूली की प्रक्रिया संस्थापित करने मे विलम्ब हुआ ।

2.2.8 बकाया की स्थिति

प्रत्येक सम्भाग द्वारा वर्ष की लंबित बकाया की वसूली, बकाया में वृद्धि आदि की सूचना वाणिज्यिक कर आयुक्त कार्यालय में " वसूली की प्रगति" नामक प्रपत्र में संकलित की जाती है । प्रत्येक प्रपत्र में पिछले तीन साल के विस्तृत विवरण होते हैं । वर्ष 2000–01 से 2003–04 के दौरान प्रपत्रों के अनुसार बकाया की लंबित राशि का संग्रहण 196.23 करोड़ रूपये से 646.47 करोड़ रूपये हो गया । पिछले पांच वर्षो के दौरान संग्रहण हेतु लंबित बकाया की स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	*प्रारम्भिक शेष*	*राशि में जोड़*	*योग*	*वसूली की गई राशि*	*शेष*	*वसूली का प्रतिशत कालम 5को 4 से*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1999–2000	197.13	531.38	728.51	439.41	289.10	60.32
2000–2001	196.23[2]	523.16	719.39	492.53	225.79	68.46
2001–2002	225.79	1,007.07	1,232.86	362.99	869.87	29.44
2002–2003	869.87	684.96	1,554.83	901.56	653.27	57.98
2003–2004	653.27	473.69	1,126.96	480.49	646.47	42.63

[2] छत्तीसगढ़ राज्य के आकड़ों को छोड़कर

सम्भाग वार आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि आठ संभागों में वर्ष 2001–02 में " बकाया में वृद्धि " एवं " वसूली की राशि" अगले वर्ष 2002–03 के तैयार पत्रकों में वर्ष 2001–02 के आंकड़े दर्शाये गये आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं । इसी प्रकार नौ संभागों, वर्ष 2002–03 में 'बकाया में वृद्धि' 'वसूली की राशि' अगले वर्ष 2003–04 के पत्रक में 2002–03 के दर्शाये आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं ।

इस प्रकार यह देखा गया कि विभाग के उपलब्ध बकाया की स्थिति विश्वसनीय नहीं है, संबंधित संभागो से सत्यापन/पुनर्मिलान की आवश्यकता है ।

विभिन्न स्तरों पर लंबित बकाया की स्थिति निम्नानुसार है :–

	(करोड़ रूपये में)
• न्यायालयीन स्थगन के तहत राशि	56.74
• अतिरिक्त आयुक्त एवं उप आयुक्त के पास पुर्नवलोकन हेतु लंबित (प्रकरणों में) सन्निहित राशि	9.04
• बी.आई.एफ.आर. में सन्निहित बीमार मिलों की लंबित राशि	103.12
• किस्तों में सन्नहित राशि	9.01
• राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों में सन्निहित राशि राज्य के बाहर	50.41
• राज्य के भीतर	112.26
• ऐसे प्रकरण जिनमें चूक कर्ता के अता–पता एवं उन की सम्पत्ति जांच के अधीन है, सन्निहित राशि	120.76
• चल एवं अचल कुर्क सम्पत्ति में सन्निहित राशि	56.66
• अपलेखन करने हेतु प्रस्तावित राशि	9.05
• सामान्य वसूली का योग	119.42
योग	***646.47***

इस बकाया राशि का समयवार विश्लेषण आयुक्त वाणिज्यिक कर अथवा वृत्तों से उपलब्ध नहीं हुये ।

2.2.9 लक्ष्य से कम उपलब्धि

आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा नवम्बर 2000, 2001 एवं 2004 में सभी वसूली अधिकारियों को जारी निर्देशों के अनुसार बकाया का अन्तिम शेष वर्ष 2000–01, 2001–02, 2003–04 के बकाया के प्रारम्भिक शेष के 10 प्रतिशत से कम सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था जबकि वर्ष 2002–03 हेतु यह 25 प्रतिशत निर्धारित किया गया । प्रत्येक वृत्त का वाणिज्यिक कर अधिकारी इस उद्धेश्य हेतु गठित अधिकारियों की टीम के सहयोग से प्रभावकारी वसूली हेतु जिम्मेदार था । उप आयुक्त वाणिज्यिक कर को इस हेतु प्रत्येक वृत्त से संबंधित बकाया की वसूली की प्रगति पर निरन्तर

निगरानी रखी जाना चाहिये थी । उन्हें इसकी पाक्षिक जानकारी आयुक्त वाणिज्यिक कर को भी प्रस्तुत की जानी चाहिये थी ।

विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धि की निकाली गई स्थिति निम्नानुसार है ।

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	*अभियान की अवधि*	*अभियान के लिये निर्धारित लक्ष्य*	*बकाया का प्रारम्भिक शेष*	*निर्धारित लक्ष्य के अनुसार अंतिम शेष*	*वास्तविक बकाया का अंतिम शेष*	*लक्ष्य राशि में कमी (प्रतिशत)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2000–2001	1 दिसम्बर 2000 से 31 मार्च 2001	अंतिम शेष बकाया के प्रारम्भिक शेष से कम से कम 10 प्रतिशत कम होना चाहिये	196.23	176.61	225.79	49.18 (21.78)
2001–2002	1 दिसम्बर 2001 से 31 मार्च 2002	–– तदैव ––	225.79	203.21	869.87	666.66 (76.64)
2002–2003	1 जनवरी 2003 से 31 मार्च 2003	अंतिम शेष बकाया के प्रारंभिक शेष से कम से कम 25 प्रतिशत कम होना चाहिये	869.87	652.40	653.27	0.87 (0.13)
2003–2004	15 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2004	अंतिम शेष बकाया के प्रारम्भिक शेष से कम से कम 10 प्रतिशत से कम होना चाहिये	653.27	587.94	646.47	58.53 (9.05)

उपरोक्तानुसार यह देखा गया कि वर्ष 2000–01 एवं 2001–02 में लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया । इन वर्षो के दौरान बकाया 22 प्रतिशत एवं 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

शासन द्वारा अपने उत्तर जुलाई 2005 में बताया कि बढ़ती जिम्मेदारियों एवं विभागीय अधिकारियों की निरन्तर कमी एवं संसाधनों की न्यूनता के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके ।

2.2.10 राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों के जारी करने एवं पंजीयन में विलम्ब

अधिनियम के प्रावधानों के तहत् व्यवसायी को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारण के पश्चात् मांग पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर कर जमा कर दिया जाना चाहिये, इसमें असफल होने पर राशि की वसूली भू राजस्व के बकाया की भांति की जावेगी । आगे आयुक्त वाणिज्यिक कर के नवम्बर 1992 में

जारी परिपत्र के तहत यदि राशि का भुगतान नहीं होता तो भुगतान तिथि के समाप्त होने के 30 दिन के अन्दर राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु प्रारम्भ की जावेगी ।

छः वाणिज्यिक कर अधिकारियों [3] के वृत्त कार्यालय एवं दो सहायक आयुक्तों [4] के कार्यालयों की जून 2004 एवं अप्रैल 2005 के मध्य अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 99 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र 15 दिन से 34 माह तक के विलम्ब से जारी किये गये।

कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं ।

क्र.	*वा.क.अ./ स.आ. के नाम*	*प्रकरण क्र. एवं सन्निहित राशि (रू. लाख में)*	*निर्धारण / मांग पत्र जारी करने का दिनांक*	*प्रमाण–पत्र प्रक्रिया संस्थापित करने की नियत तिथि*	*प्रमाण–पत्र प्रक्रिया का दिनांक*	*विलम्ब*	
						माह	*दिन*
1	वा.क.अ. वृत्त–2 भोपाल	277/2000 2.07	5.6.03	4.8.03	19.8.03	–	15
2	वा.क.अ. वृत्त–15 इन्दौर	48/96 3.20	1.1.03	28.2.03	27.9.03	6	27
3	–– तदैव ––	46/96 0.96	– तदैव –	– तदैव –	– तदैव –	6	27
4.	वा.क.अ. वृत्त–1 जबलपुर	3/2000 1.18	17.1.01	16.3.01	29.1.04	34	–
5	स.आ. जबलपुर	22/2001 0.31	16.2.03	15.4.03	16.3.04	11	–

वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों (नवम्बर 1992) के तहत वसूली अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी से प्राप्त राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों को वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा निर्धारित पंजी में सात दिन के भीतर इनकी प्रविष्टि करेगा ।

104 प्रकरणों में 5.24 करोड़ रूपये के राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र दिसम्बर 1999 एवं सितम्बर 2003 के मध्य जारी कियेगये थे, को सम्बद्ध पंजी में इन्द्राज नहीं किया गया ।

---

[3] वृत्त 2 भोपाल, वृत्त 13 एवं 15 इन्दौर, वृत्त 1,3 एवं 4 जबलपुर

[4] सहायक आयुक्त इन्दौर एवं जबलपुर

इस ओर इंगित किये जाने के बाद वसूली अधिकारियों द्वारा प्रकरणों को सम्बद्ध पंजी में इन्द्राज किया गया तथा बताया गया कि आर.आर.सी. पुस्तिकाओं की अनुपलब्धता, कर्मचारियों की कमी तथा इनकी समय समय पर विभिन्न विभागों में ड्यूटी जैसे चुनाव, पल्स पोलियो एवं जन गणना आदि के कारण राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र जारी करने एवं पंजीबद्व करने में विलम्ब हुआ। शासन द्वारा जुलाई 2005 में उत्तर की पुष्टि की गई ।

2.2.11 वसूली प्रमाण–पत्र जारी होने के बाद मांग पत्र जारी न करना/जारी करने में विलम्ब

अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत नियमों एवं वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा अक्टूबर 1978 एवं नवम्बर 1992 में जारी निर्देशों के अन्तर्गत, वसूली अधिकारी राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र की प्राप्ति के सात दिन के अन्दर मांग पत्र जारी करेगा ।

- सात वृत्त कार्यालयों [5] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दिसम्बर 2000 एवं मार्च 2004 के मध्य पंजीकृत 35 प्रकरणों 96.78 लाख रूपये की राशि सन्निहित के मांगपत्र पांच माह से 42 माह की समाप्ति तक वसूली अधिकारी द्वारा जारी नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप शासन को उस सीमा तक राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई ।

- आगे चार वृत्त कार्यालयों [6] के 18 प्रकरण जनवरी 2002 एवं फरवरी 2004 के मध्य पंजीकृत किये गये थे । अभिलेखों की मार्च 2005 में नमूना जांच में पाया गया कि मांग पत्र जिनमें 1.03 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित थी वसूली अधिकारी द्वारा एक माह से 22 माह के विलम्ब से जारी किये गये । इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं :–

क्र. सं.	*वा.कर.अ. का नाम*	*प्रकरण क्रमांक*	*आर.आर.सी. नम्बर एवं दिनांक*	*राशि (रूपये लाखों में)*	*मांगपत्र जारी करने का दिनांक*	*विलम्ब*
1	वा.क.अ. भोपाल वृत्त 6	57/97	36644 X 4/7.2.04	20.43	2.8.2004	5 माह
2	–– तदैव ––	4/96	36644 X 7/7.2.04	13.33	2.8.2004	5 माह
3	–– तदैव ––	95/98	8232 X 54/7.01.02	14.23	20.11.2003	22 माह
4	–– तदैव ––	17/99	8234 X 34/1.11.02	15.33	21.01.2003	2 माह
5	–– तदैव ––	53/2000	7824 X 33/30.11.02	7.81	10.01.2003	1 माह

5 वृत्त 2 भोपाल, वृत्त 11 एवं 15 इन्दौर, वृत्त 1,2,3 एवं 4 जबलपुर

6 वृत्त 6 भोपाल वृत्त 1,3 एवं 4 जबलपुर

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया गया कि मांगपत्र कार्य की अधिकता, कर्मचारियों की कमी तथा इनके समय समय पर विभिन्न विभागों को कर्तव्य पर भेजने जैसे चुनाव, पल्स पोलियो, जनगणना आदि के कारण जारी नहीं किये जा सके/जारी करने में विलम्ब हुआ। शासन द्वारा जुलाई 2005 में उत्तर की पुष्टि की गई ।

2.2.12 कुर्की वारन्ट जारी न करना / जारी करने में विलम्ब

आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा अक्टूबर 1978 एवं नवम्बर 1992 में जारी अनुदेशों के अनुसार यदि व्यवसायी राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र जारी होने के पश्चात मांग पत्र जारी होने के दिनांक से सात से पंद्रह दिन के अन्दर राशि जमा करने में असफल रहता है तो उसके विरूद्व सम्पत्ति के कुर्क करने हेतु वारन्ट जारी करने की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

- सात वृत्त कार्यालयों [7] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि यद्यपि 2.06 करोड़ रूपये की सन्निहित वसूली के 71 प्रकरणों में मांग पत्र वर्ष 1999 एवं मार्च 2004 के मध्य चूक कर्ताओं को वसूली हेतु तामील कर दिये गये थे लेकिन उनकी कुर्की हेतु आवश्यक वारन्ट वसूली अधिकारियों द्वारा जारी नहीं किये गये । परिणामस्वरूप, शासकीय देय राशि 2.06 करोड़ रूपये पांच माह से 77 माह की अवधि व्यतीत होने जाने के उपरान्त भी वसूली हेतु रही।

- चार इकाइयों [8] के अगस्त 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 1.25 करोड़ रूपये की सन्निहित वसूली के 30 प्रकरणों के वारन्ट अगस्त 1999 एवं फरवरी 2004 के मध्य तैयार कर लिये गये थे जो पांच माह से 59 माह की समाप्ति के पश्चात जारी किये गये । इसके फलस्वरूप सम्पत्ति कुर्क नहीं की जा सकी । इससे परिलक्षित होता है कि चूककर्ताओं का पता लगाने हेतु गहन प्रयास नहीं किये गये फलस्वरूप बकाया इकट्ठा होता गया ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया गया कि कुर्की वारन्ट, चूक कर्ताओं के न मिलने, एवं कर्मचारियों की कमी तथा समय समय पर उनके अन्य विभागों के कर्तव्य पर जाने जैसे चुनाव, पल्स पालियो, एवं जनगणना आदि के कारण जारी/तामील नहीं हो सके। शासन द्वारा जुलाई 2005 में उत्तर की पुष्टि की गई ।

---

[7] वृत्त 2 भोपाल, वृत्त 7 एवं 11 इन्दौर, वृत्त 1,2,3 एवं 4 जबलपुर

[8] वृत्त 2 भोपाल, वृत्त 7 एवं 11 इन्दौर, वृत्त 1 जबलपुर

2.2.13 जब्त सम्पत्ति का निवर्तन न करना

आयुक्त वाणिज्यिक कर के नवम्बर 1980 के अनुदेशों के अनुसार जब्ती वारन्ट की तामीली के तीन दिन के भीतर जब्त सम्पत्ति की नीलामी की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

14 वृत्त कार्यालयों [9]के अभिलेखों की अगस्त 2004 एवं अप्रैल 2005 के मध्य नमूना जांच में पाया गया कि शासकीय देयताओं को जमा करने में विफल रहने वाले 71 चूककर्ताओं की सम्पत्ति को अगस्त 1999 तथा मार्च 2004 के बीच जब्त किया गया था । तथापि पांच माह से 65 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी निवर्तित नहीं किया गया । फलस्वरूप शासन को देय राशि वसूली हेतु शेष रही ।

लेखा परीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने के बाद विभाग द्वारा बताया गया कि बोलीदारों के जगह पर उपस्थित न होने के कारण सम्पत्ति को नीलामी द्वारा निवर्तित नहीं किया जा सका । विभाग का कथन मान्य नहीं था क्योकि अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था कि पर्याप्त संख्या में बोलीदारों को आकर्षित करने हेतु सार्वजनिक नीलामी के लिये स्थानीय/ क्षेत्रीय/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो।

2.2.14 अन्य राज्यों को भेजे गये राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों में अनुगामी कार्यवाही करने में विफलता

ऐसे चूककर्ता व्यवसाइयों के प्रकरणों में जो अपना व्यवसाय/निवास राज्य के बाहर बदल चुके हैं, बकाया शासकीय देय राशि की वसूली करने के प्रयोजन से राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र उस संभाग के वाणिज्यिक कर उपायुक्त के माध्यम से वसूली संबंधित राज्य के संबंधित जिलों के जिलाधीशों को भेजे जाते हैं ।

15 इकाइयों[10] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 1965–66 से 2002–03 की अवधि से संबंधित 160 प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र अप्रैल 1999 एवं मार्च 2004 के मध्य विभिन्न राज्यों को भेजे गये थे । एक से छः वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरांत भी प्रभावी वसूली हेतु कोई अनुगामी कार्यवाही नहीं की गई । विभाग ने बताया कि संबंधित राज्यों से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

राज्य के बाहर स्थानों पर संबंधित प्राधिकारी, जहां व्यवसाइयों ने अपना व्यवसाय एवं निवास बदल दिये हैं, तुरंत वसूली प्रमाण–पत्र स्थानान्तरण हेतु एवं अनुवर्ती कार्यवाही के लिये पद्धति विकसित करना चाहिये ।

---

9 वृत्त 1,2,4,5 एवं 6 भोपाल, वृत्त 4,6,7,10 एवं 11 इन्दौर, वृत्त 2 जबलपुर, वृत्त 1 सतना, वृत्त सेंधवा एवं वृत्त विदिशा

10 वृत्त 1,2,3,4 एवं 5 भोपाल, उप वाणिज्यिक कर आयुक्त संभाग 1,2 एवं 3 इन्दौर, वृत्त इटारसी, होशंगाबाद, रीवा, सतना I एवं सीहोर, सेन्धवा एवं विदिशा ।

2.2.15 प्रक्रिया व्यय की मांग जारी न करना

मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अनुसार चूक कर्ता को जारी किये जाने वाले मांग पत्रों में देय मूल राशि में, राशि के तीन प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय भी सम्मिलित किया जावेगा ।

11 वृत्त कार्यालयों [11] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मई 1999 एवं मार्च 2004 के मध्य 27.44 करोड़ रूपये की मूल रशि पर 82.32 लाख रूपये के प्रक्रिया व्यय की राशि 200 चूक कर्ताओं को जारी सम्बन्धित मांग पत्रों में शामिल नहीं की गई ।

इसे इंगित किये जाने इसके बाद विभाग एवं शासन ने जुलाई 2005 मे बताया कि वसूली की प्रक्रिया म.प्र. भू –राजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत की गई तथा इस प्रकार का कोई भी प्रक्रिया व्यय आरोपित नहीं किया गया तथा मांग पत्रों में शामिल नहीं किया गया ।

विभाग शासन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के अन्तर्गत देय की मूल राशि में, मूल राशि के 3 प्रतिशत की दर से प्रक्रिया व्यय भी जोड़ने का स्पष्ट प्रावधान है ।

2.2.16 निष्कर्ष

इस तरह उपरोक्तानुसार देखा गया कि म.प्र. भू राजस्व संहिता और उनके अधीन नियमों के तहत रा.व प्रमाण–पत्रों की मोनिटरिंग में आन्तरिक नियंत्रण की कमी थी । रा.व. प्रमाण–पत्र की कार्यवाही शुरू करने में अत्यधिक विलम्ब, जब्त सम्पत्ति का अनिवर्तन तथा राज्य के बाहर संबंधित अधिकारियों को वसूली प्रमाण–पत्र के विरूद्व राजस्व प्राप्ति हेतु कार्यवाही का अनुसरण न करने के परिणामस्वरूप शासन के राजस्व की बड़ी राशि की वसूली नहीं हो सकी ।

2.2.17 अभिस्वीकृति

समीक्षा के तथ्य राज्य शासन को जुलाई 2005 में लेखापरीक्षा की समीक्षा– बैठक में भाग लेने हेतु निवेदन के साथ अग्रेषित किये गये तथापि न तो विभाग और न ही राज्य शासन बैठक में भाग लेने हेतु आगे आये ।

---

[11] वृत्त 2 एवं 6 भोपाल, वृत्त 7,10,11,13 एवं 15 इन्दौर वृत्त 1,2,3 एवं 4 जबलपुर

2.3 कर की गलत दर का लागू किया जाना

मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (अधिनियम) एवं इसके तहत् जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विभिन्न वस्तुओं पर आरोपणीय वाणिज्यिक कर की दरों को विनिर्दिष्ट किया गया है ।

13 क्षेत्रीय कार्यालयों [1] तथा 11 वृत्त कार्यालयों [2] में अभिलेखों की (जून 2003 तथा दिसम्बर 2004 के मध्य) नमूना जांच में पाया गया कि जुलाई 2001 एवं जनवरी 2005 के मध्य अप्रैल 1996 से मार्च 2002 की अवधि से संबंधित 25 निर्धारित प्रकरणों में 24.50 करोड़ रूपये की विक्रय राशि पर गलत दरों से कर आरोपित किया गया । इसके परिणामस्वरूप 1.43 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण हुआ । कुछ दृष्टात्मक प्रकरण निम्न तालिका में दर्शाए गये हैं :

(रूपये लाख में)

स.क्र.	*इकाई का नाम*	*प्रकरणों की संख्या/ कर निर्धारण वर्ष*	*कर निर्धारण की तिथि*	*कर योग्य विक्रय*	*कर की दर*		*कर का कम भुगतान*	*निरीक्षण का स्वरूप*
					लगाई गई	*लगाई जाना चाहिये*		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त उज्जैन	3 1999–2000 2000–2001 2001–2002	नवम्बर 2002 दिसम्बर 2002 जनवरी 2005	1,149	4.6/9.2	13.8	102.72	पिगमेन्ट (डाई) को केमीकल माना गया
टिप्पणी	विभाग द्वारा बताया गया कि प्रकरण में कर निर्धारण आयुक्त वाणिज्यिक कर द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर किया गया है जिसमे रंजक (पिगमेन्ट) को रसायन माना गया है । स्पष्टीकरण अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्व है, क्योंकि रंजक (पिगमेंट) अधिनियम में विशिष्ट प्रविष्टि के अन्तर्गत 13.8 प्रतिशत की दर से कर योग्य है । 102.72 लाख रूपये कर की गणना 4.6 तथा 9.2 प्रतिशत की दर से की गई है ।							
2	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त इन्दौर	1 1999–2000	अप्रैल 2003	46.75	6.9	9.2	1.07	मच्छर भगाने की मशीन को विद्युत सामान माना गया
टिप्पणी	विभाग द्वारा बताया गया कि मच्छर भगाने वाली मशीन एक विद्युत सामान है न कि मशीन, उत्तर सही नहीं है क्योंकि केरला उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.8.2000 में निर्णित किया गया कि मच्छर भगाने वाली मशीन विद्युत सामान नहीं है।							

[1] क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर (2), इन्दौर (6), जबलपुर, सतना एवं उज्जैन (3)

[2] वृत्त कार्यालय भोपाल, धार, ग्वालियर (2), इन्दौर (6) एवं सागर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	वाणिजियक कर अधिकारी सागर	2 1996–97	जुलाई 2001	37.65	4	6	0.75	क्राफ्ट पेपर को पेकिंग मटेरियल माना गया ।
टिप्पणी	विभाग ने बताया कि क्राफ्ट कागज का उपयोग बडल बांधने की सामग्री के रूप में किया गया है जिस पर कर की दर चार प्रतिशत है और तद्नुसार कर लगाया गया है। विभाग का उत्तर मान्य नही क्योंकि इस प्रकरण में थोक व्यवसायी द्वारा फुटकर व्यवसायी को विक्रय किया गया है तथा अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि क्रय बंडल बाधने की सामग्री का किया गया है। फलस्वरूप चार प्रतिशत की जगह छः प्रतिशत से ही कर देय है ।							
4	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त ग्वालियर	1 1999–2000	अप्रैल 2003	128	4	9.2	6.66	थर्मिट पोर्शन को लोहा एव स्पात माना गया
टिप्पणी	विभाग ने बताया कि थर्मिट पोर्शन आयरन एवं स्टील का मिश्रण था। उनका प्रतिवाद सही नहीं है क्योंकि थर्मिट फेरिक ओक्साइड़ (Fe_2O_3) स्टील कटिंग्स फैरो एलाय तथा एल्यूमिनियम ग्रेन्यूल्स से मिलकर बना है । इस प्रकार यह लोहा स्पात का मिश्रण नहीं है और अवशिष्ट प्रविष्टि मानकर 9.2 प्रतिशत की दर से कर लगना चाहिये ।							
5	क्षेत्रीय सहायक आयुक्त उज्जैन	1 2000–2001	दिसम्बर 2003	9.49	2.3	9.2	0.65	घी को हाइड्रोजिनेटेड तेल माना गया
टिप्पणी	विभाग द्वारा बताया गया कि व्यवसायी ने हाइड्रोजिनेटेड वनस्पति तेल का विक्रय किया गया है। उत्तर मान्य नहीं क्योंकि क्रय सूची के अनुसार घी का क्रय एवं विक्रय किया गया ।							
6	वाणिज्यिक कर अधिकारी भोपाल	1 1999–2000	अप्रैल 2003	65.60	6/8	8/12	1.76	ट्रान्साफारमरों को विद्युत सामान की जगह इलेक्ट्रोनिक्स माना गया
टिप्पणी	विभाग द्वारा बताया गया कि ट्रान्सफारमर अधिसूचना दिनांक 14.5.97 के तहत इलेक्ट्रोनिक्स सामान में वर्गीकृत थे । विभाग का उत्तर मान्य नही था क्योंकि अधिसूचना में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं थी। ट्रान्सफारमर पर अधिनियम की अनुसूची–II के अनुसार 8/12 प्रतिशत से कर देय है ।							

इसके इंगित करने के पश्चात् क्षेत्रीय सहायक आयुक्त ने एक प्रकरण में आपत्ति स्वीकार की तथा 10.60 लाख रूपये की मांग सृजित की । पंद्रह प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ जबकि नौ प्रकरणों विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया ।

शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2005) ।

2.4 क्रय कर का अनारोपण/कम आरोपण

अधिनियम 1994 तथा उसके अन्तर्गत नियमों एवं जारी की गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत बिना कर चुकाये क्रय किये गये कच्चे माल या आनुषांगिक माल जिसकी खपत/ उपयोग तैयार वस्तुओं के विनिर्माण में किया जाता है तो ऐसी वस्तुओं के क्रय पर कर आरोपण का प्रावधान है । यदि इस प्रकार क्रय की गई वस्तुओं का विनिर्मित उत्पाद राज्य के बाहर स्थानांतरित किया जाता है, तो क्रय कर आरोपणीय है। ऐल्यूमिनियम सिल्ली पर कर की दर दिनांक 1.1.2000 से दो प्रतिशत की जगह चार प्रतिशत तक वृद्धि की गई थी। कर का 15 प्रतिशत की दर से अधिभार भी देय था ।

2.4.1 क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर के अभिलेखों की नमूना जांच जून 2004 में पता चला कि पात्रता प्रमाण–पत्र धारक व्यापारी का मार्च 2003 में अवधि 1999–2000 के कर निर्धारण प्रकरण में 5.29 करोड़ रूपये मूल्य का ऐल्यूमिनियम सिल्ली का क्रय किया। कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 24.32 लाख रूपये के स्थान पर 12.16 लाख रूपये पूर्व संशोधित दरों पर कर आरोपित करने के परिणामस्वरूप कम आरोपण किया गया।

2.4.2 क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर एवं इन्दौर की लेखापरीक्षा में पाया गया कि जून 2002 एवं फरवरी 2004 में किये गये कर निर्धारण में तीन व्यापारियों के अवधि 1998–99 एवं 2000–01 से सम्बन्धित कर निर्धारण प्रकरण में 1994 की योजना के तहत् कर की छूट का लाभ लेते हुए 7.54 करोड़ रूपये का पी.व्ही.सी. कम्पाउन्ड तथा अन्य कच्चा माल और आनुषांगिक माल का उपयोग अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में किया गया । क्रय कर 4.6 प्रतिशत की दर से आरोपणीय था । इसके परिणामस्वरूप 34.68 लाख रूपये के क्रय कर का अनारोपण हुआ । क्षेत्रीय निर्धारण प्राधिकारी द्वारा एक प्रकरण में 6.84 लाख रूपये की मांग जारी की गई तथा दो प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ग्वालियर ने बताया कि कर की गणना /आरोपण किया जावेगा ।

2.4.3 क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर एवं तीन वृत्त कार्यालयों [3] के चार व्यवसाइयों के अवधि 1998–99 से 2000–01 से सम्बन्धित पांच प्रकरणों में अभिलेखों की मार्च एवं अक्टूबर 2004 के मध्य की गई नमूना जांच में पाया गया कि मई 2002 से दिसम्बर 2003 के मध्य किये गये कर निर्धारण प्रकरणो में 3.23 करोड़ रूपये का कच्चा माल का क्रय करके उसकी खपत/ उपयोग अन्य वस्तुओं के विनिर्माण में विक्रय हेतु किया गया, और कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा क्रय कर आरोपित नहीं किया गया यद्यपि यह माल बिना कर चुकाये क्रय किया गया था । इसके परिणामस्वरूप 10.37 लाख रूपये के क्रय कर का अनारोपण हुआ ।

---

[3] भोपाल, ग्वालियर और इन्दौर

इसके बाद इंगित किये जाने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने दो प्रकरणों में मांग जारी की, जबकि शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुये ।

प्रकरण विभाग व शासन को अप्रैल 2004 और फरवरी 2005 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2005)।

2.5 बन्द इकाइयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न होना

अधिनियम एवं इसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अनुसार कर मुक्ति योजना 1994 के अधीन छूट प्राप्त नवीन औद्योगिक इकाइयों को कर मुक्त अवधि एवं कर मुक्ति की सीमा समाप्त होने बाद पांच वर्षो तक इकाइयों को चालू रखना होगा, जिसके असफल होने पर पात्रता प्रमाण–पत्र निरस्त करने के परिणामस्वरूप इकाई द्वारा प्राप्त की गई करमुक्ति राशि की वसूली करने योग्य होगा ।

दो क्षेत्रीय कार्यालयों इन्दौर एवं उज्जैन के अभिलेखों की जांच में पता चला कि दो नवीन औद्योगिक इकाइयां जिन्हें क्रमशः 1.2.97 से 31.1.2006 एवं 4.1.95 से 3.1.2000 की अवधि के लिये कर मुक्ति योजना के अन्तर्गत कर के भुगतान से मुक्ति प्रदान की गई थी, इनमें से एक इकाई ने कर मुक्ति अवधि के दौरान व्यवसाय बन्द कर दिया जबकि दूसरी इकाई ने कर मुक्ति अवधि समाप्ति के छः माह के अन्दर अपना व्यवसाय बंद कर दिया । इसलिये कर मुक्ति लाभ की राशि वसूली योग्य थी, इसके वसूली हेतु विभाग द्वारा तथापि कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप 2.96 करोड़ रूपये के राजस्व से शासन वंचित रहा ।

प्रकरण दिसम्बर 2004 तथा मार्च 2005 के मध्य विभाग द्वारा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2005) ।

2.6 गलत ढंग से कर मुक्त मानी गई बिक्रियो पर कर का अनारोपण ।

अधिनियम सह पठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 तथा उसके अन्तर्गत नियमों एवं जारी की गई अधिसूचनाओं के तहत् अनुसूची–I में वर्णित वस्तुओं तथा शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत कर से छूट वस्तुओं पर वाणिज्यिक कर देय नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर एवं ग्वालियर तथा वृत्त कार्यालयों भोपाल एवं इन्दौर के अभिलेखों में सितम्बर 2000 एवं फरवरी 2004 के मध्य निर्धारित 1997–98 से 2000–2001 तक की अवधि के छः प्रकरणों की

नमूना जॉच में पाया गया कि 11.41 करोड़ रूपये मूल्य के फाइबर ग्लास क्लाथ, एच.डी.पी.ई •/ पी.पी* फेब्रिक्स एवं डीजल इन्जिन की बिक्री को कर मुक्त मानकर कटौती स्वीकार की है। इसके परिणामस्वरूप 1.54 करोड़ रूपये के कर विनिर्दिष्ट दरों से अनारोपण हुआ ।

मार्च 2003 एवं मार्च 2005 के मध्य इसे इंगित करने पर कर निर्धारण प्राधिकारी ने चार प्रकरणों में बताया कि एच.डी.पी.ई. फेब्रिक्स अनुसूची–I के अधीन तथा अधिसूचना दिनांक 24.8.2000 के तहत् कर मुक्त है । उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि पी.व्ही.सी. फेब्रिक्स अनुसूची II की प्रविष्टि 42 के तहत् कर योग्य है और अधिसूचना में कारखानों में निर्मित माल करमुक्त नहीं है; जबकि इन्दौर के एक प्रकरण में 2 लाख रूपये की मांग सृजित की जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा घटाकर 0.17 लाख रूपये कर दिया गया ।

अन्य प्रकरणों में अंतिम उत्तर प्राप्त होना प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2005) ।

2.7 कर मुक्ति एवं आस्थगन की कर भुगतान से अनियमित स्वीकृति

म.प्र. कर भुगतान आस्थगन नियम 1994 एवं कर मुक्ति योजना 1995 के तहत कर मुक्ति एवं कर के भुगतान से आस्थगन की सुविधा अपरम्परागत ऊर्जा श्रोतों से विद्युत का उत्पादन करने वाली इकाईयों तथा जिन्हें राज्य स्तरीय समिति द्वारा अस्थाई पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, अस्थाई पात्रता प्रमाण–पत्र छः माह के लिये या स्थाई प्रमाण–पत्र जारी होने के दिनांक से जो भी पहले हो, के लिये वैध होता है ।

क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर के अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि में एक औद्योगिक इकाई को कर मुक्ति योजना तथा आस्थगन कर भुगतान की सुविधा का अनंतिम कर मुक्ति पात्रता प्रमाण–पत्र 11 जुलाई 1997 को जारी किया गया था । इसके बाद स्थाई पात्रता प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया अनंतिम पात्रता प्रमाण–पत्र यद्यपि 10 जनवरी 1998 को निरस्त किया जाना था अर्थात छः महीने व्यतीत होने के बाद, निरस्त नहीं किया गया। तथापि दिसम्बर 2003[4] में वर्ष 1997–98 के अन्तिम कर निर्धारण के निवर्तन के समय कर निर्धारण प्राधिकारी ने आस्थगन की, 24.78 करोड़ रूपये मूल्य के ट्रांसफारमर तथा संचालक के निर्माण एवं विक्रय पर 1.17 करोड़ रूपये की कर की छूट तथा 0.50 करोड़ रूपये के आस्थगन की छूट प्रदान की,जो ग़लत थी । इसके परिणामस्वरूप 1.67 करोड़ रूपये के शासकीय राजस्व की वसूली नहीं हुई ।

• एच.डी.पी.ई. – उच्च घनत्व वाली पाली इथेलेन

* पी.पी. – पोली प्रोपीलीन

4 मूल कर निर्धारण अक्टूबर 2000 में किया गया

इंगित किये जाने के बाद, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण को उच्च अधिकारियों की ओर अंतिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया (मई 2005) ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को दिसम्बर 2004 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये ।

2.8 कर योग्य विक्रय राशि का गलत निर्धारण

अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के तहत् मान्य कटौतियों को घटाने के बाद कर योग्य विक्रय राशि का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक व्यापारी अपने संव्यवहारों का सही लेखा रखेगा तथा इसमें असफल होने पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ब्याज एवं शास्ति आरोपणीय है ।

चार क्षेत्रीय कार्यालयों [5] एवं तीन वृत्त कार्यालयों [6] के अभिलेखों की नमूना जांच जून 2003 से अक्टूबर 2004 के मध्य में पाया गया कि मई 2002 एवं फरवरी 2004 के मध्य अप्रैल 1998 से मार्च 2001 तक अवधि के सात कर निर्धारण प्रकरणों में कर योग्य विक्रय राशि 5.27 करोड़ रूपये कम निर्धारित करने के परिणामस्वरूप 34.98 लाख रूपये के कर के साथ 7.47 लाख रूपये की ब्याज एवं शास्ति का कम आरोपण हुआ।

इंगित किये जाने के बाद विभाग द्वारा तीन प्रकरणों में लेखापरीक्षा अभियुक्ति स्वीकार की गई एवं इन प्रकरणों में 4.31 लाख रूपये की मांग सृजित की गई। दो प्रकरणों में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ । एक प्रकरण में विभाग द्वारा लेखा परीक्षा अभियुक्ति यह कहते हुये स्वीकार नहीं की कि सकल क्रय 36.43 लाख रूपये का न होकर 25.71 लाख रूपये का था । विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रवेशकर निर्धारण प्रकरण से प्रति सत्यापन करने पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा 36.43 लाख रूपये मूल्य का क्रय राज्य बाहर से किया गया था । इस प्रकार व्यवसायी द्वारा 10.72 लाख रूपये के क्रय को छिपाया गया । क्षेत्रीय अधिकारी इन्दौर द्वारा एक अन्य प्रकरण में बताया गया कि निर्धारिती द्वारा विनिर्माण एवं व्यापार इकाई की संयुक्त बैलेश शीट प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें से 2.70 करोड़ रूपये के टायर ट्यूब के विक्रय को अमान्य कर दिया गया था । विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अमान्य कियागया विक्रय उसी व्यवसाई की उत्पादन इकाई का अतिरिक्त अधिक उत्पादन था, जबकि लेखा परीक्षा अभियुक्ति व्यापारिक इकाई से संबंधित है ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को दिसम्बर 2003 एवं अप्रैल 2005 के मध्य प्रतिवेदित किये गये; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये ।

---

5 इन्दौर (3) एवं सतना

6 भोपाल एवं इन्दौर (2)

2.9 प्रवेश कर का अनारोपण / कम आरोपण

मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 तथा इसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अन्तर्गत कच्चे माल, आनुषांगिक वस्तु या संवेष्ठन सामग्री के रूप में विक्रय, उपयोग या खपत के लिये स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रवेशकर आरोपणीय है ।

क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर एवं तीन वृत्त इन्दौर कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मई 2001 तथा जनवरी 2004 के मध्य अप्रैल 1998 से मार्च 2001 तक की अवधि के निर्धारित किये गये पांच व्यवसाइयों के छः प्रकरणों में 9.30 करोड़ रूपये मूल्य की वस्तुओं के प्रवेश पर प्रवेशकर या तो आरोपित नहीं किया गया या कम दर से आरोपण किया गया । इसके परिणामस्वरूप 7.42 लाख रूपये के प्रवेश कर का अनारोपण/कम आरोपण हुआ ।

मार्च 2003 तथा दिसम्बर 2004 के मध्य इंगित करने के बाद कर निर्धारण प्राधिकारी ग्वालियर एवं इन्दौर द्वारा पांच प्रकरणों में रूपये 1.87 लाख रूपये की शास्ति को शामिल करते हुए 8 लाख रूपये की मांग जारी की गई । एक प्रकरण में अन्तिम कार्यवाही प्रतीक्षित है ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जुलाई 2003 एवं दिसम्बर 2004 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये ।

2.10 कर चुकी बिक्री की गलत कटौती

अधिनियम एवं नियम तथा उनके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के अंतर्गत कर चुके माल जिनपर कर का भुगतान राज्य के भीतर किया गया है पर करचुकी बिक्री की छूट देने का प्रावधान है । जबकि ऐसी कर चुकी संवेष्ठन सामग्री जिसका विक्रय, कर योग्य वस्तु के साथ किया जाय तो उसपर भी वही कर देय होगा जो उस वस्तु पर देय है ।

दो क्षेत्रीय कार्यालयों [7] एवं दो वृत्त कार्यालयों [8] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अवधि 1994–95 से 2000–2001 तक का कर निर्धारण जुलाई 2000 एवं सितम्बर 2003 के मध्य चार व्यवसाइयों के पांच प्रकरणों में किया गया, 1.52 करोड़ रूपये मूल्य के डामर, सीमेंट एवं बारदाना अर्थात जो खली की संवेष्ठन सामग्री थी, को कर चुका मानकर कर की गलत छूट प्रदान की गई । गलत छूट देने के परिणामस्वरूप 11.68 लाख रूपये का कर का कम आरोपण हुआ ।

लेखापरीक्षा में जनवरी 2002 एवं नवम्बर 2004 के मध्य इंगित किये जाने के बाद कर निर्धारण प्राधिकारी भोपाल, ग्वालियर एवं गुना द्वारा तीन व्यवसाइयों के विरूद्व रूपये 10.22 लाख रूपये की मांग सृजित की गई , जबकि कर निर्धारण प्राधिकारी खण्डवा द्वारा नवम्बर 2004 में बताया कि माननीय मध्य प्रदेश [9] उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कर चुका बारदाना में विक्रय कर का निर्धारण सही किया गया है। अधिनियम में विशिष्ट प्रावधान के अनुसार एवं माननीय उच्चतम न्यायालय [10] के निर्णय के परिपेक्ष्य में विभाग का उत्तर मान्य नहीं है ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को (मार्च 2002 एवं जनवरी 2005 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2005) ।

2.11 वृत्ति कर की वसूली न होना

मध्य प्रदेश वृत्तिकर अधिनियम 1995 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति, जो मध्य प्रदेश में पूर्णकालिक या अंशकालिक नियोजित हो, को अनुसूची के अनुसार वृत्तिकर अदा करना होगा । राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के प्रकरणों में आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने कर्मचारियों के वेतन देयकों में से देय वृत्तिकर की बारह मासिक किस्तों में कटोत्री करेगा एवं उसे सरकारी लेखाओं में जमा कराऐगा ।

कमांडेन्ट केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) बड़वाह के कार्यालय की सितम्बर 2000 से अगस्त 2004 की अवधि की नमूना जांच सितम्बर 2004 में प्रकट हुआ कि इस कार्यालय के कर्मचारियों के दिसम्बर 2000 से अक्टूबर 2001 तक के वेतन से 8.96 लाख रूपये के वृत्तिकर की कटोत्री की जानी थी, लेकिन यह राशि न तो नियोक्ता द्वारा काटी गई एवं न ही

---

7 भोपाल एवं खण्डवा

8 गुना एवं ग्वालियर

9 मे. रेमन्ड सीमेंट विरूद्व म.प्र. राज्य (एच.सी.) (1997) 30 व्ही.के.एन. 219 म.प्र.

10 मे. प्रीमियर ब्रेवरीज विरूद्व केरला राज्य (सुप्रीम कोर्ट) (1999) 32 व्ही.के.एन. 317

कर्मचारियों द्वारा सरकारी लेखाओं में जमा की गई । इससे शासन 8.96 लाख रूपये के राजस्व से वंचित रहा ।

सितम्बर 2004 में इंगित किये जाने के बाद प्रभारी अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि वसूली की कार्यवाही केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के उच्च अधिकारियों की जानकारी में लाया गया।

प्रकरण विभाग एवं शासन को अक्टूबर 2004 में प्रतिवेदित किया गया । वसूली की राशि में आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई (दिसम्बर 2005) ।

अध्याय – 3 राज्य उत्पाद शुल्क

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क के अभिलेखों की नमूना जांच में 4,286 प्रकरणों में 149.44 करोड़ रूपये की राशि का अनिर्धारण, अवनिर्धारण, राजस्व हानियाँ एवं शास्तियों का अनारोपण प्रकट हुआ , जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	*श्रेणी*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	फुट कर विक्रेताओं द्वारा न्यूनतम स्टाक न लेने पर शास्ति का अनारोपण	254	13.74
2	अल्कोहल के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि	384	57.78
3	अनुज्ञप्ति फीस/नीलाम राशि के बकाया का संचयन	257	14.60
4	अनुज्ञप्ति की शर्तो के उल्लंधन पर शास्ति का अनारोपण	548	19.50
5	अधिक छीजन पर शुल्क का अनारोपण / वसूली न होना	727	21.78
6	अन्य	2,116	22.04
	योग	***4,286***	***149.44***

वर्ष 2004–05 के दौरान विभाग ने 8.47 करोड़ रू. अंतर्निहित राशि के 1,344 प्रकरणों में कर अवधारण स्वीकार किया। ये सभी प्रकरण वर्ष 2004–05 के दौरान इंगित किये गये थे। कुछ दृष्टात्मक प्रकरण जिनमें 9.60 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित है, का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है।

3.2 शर्करा की मात्रा के अनुरूप अल्कोहल का उत्पादन न होना।

3.2.1 नियमों में प्रावधानों के अनुरूप अल्कोहल का उत्पादन न होना ।

मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 में प्रावधान है कि आसवक न्यूनतम किण्वन एवं आसवन दक्षता क्रमशः 84 एवं 97 प्रतिशत बनाये रखेंगे। विभागीय प्रयोगशाला के प्रतिवेदन के अनुसार शीरे में विद्यमान किण्वन योग्य शर्करा के प्रत्येक क्विंटल से 91.8 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए। इस उद्देश्य हेतु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा शीरे के मिश्रित नमूने लेकर विभागीय प्रयोग शाला को जॉच के लिये भेजा जाना अपेक्षित है। आसवक के निर्धारित दक्षता बनाये रखने एवं अल्कोहल उतारी में असफल रहने की दशा में, आबकारी आयुक्त अधिकतम 30 रूपये प्रति प्रूफ लीटर की शास्ति आरोपित कर सकेगें।

दो आसवनियों[1] के अभिलेखों की सितम्बर और दिसम्बर 2004 के मध्य नमूना जॉच में देखा गया कि विभागीय प्रयोग शाला के रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन के अनुसार 37,551 क्विंटल किण्वन योग्य शर्करा जो 99,915 क्विंटल शीरे में थी जिसका आसवक द्वारा नवम्बर 2003 से अगस्त 2004 के मध्य उपयोग किया गया। वास्तविक उत्पादन 32,31,101 प्रूफ लीटर के विरूद्ध 34,47,184 प्रूफ लीटर अल्कोहल उत्पादन होना चाहिए था, परिणामतः 2,16,083 प्रूफ लीटर अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ। तथापि जिला आबकारी अधिकारियों (जि.आब.अधि.) द्वारा 64.82 लाख रूपये शास्ति आरोपण हेतु प्रकरण आबकारी आयुक्त को अग्रेषित नहीं किये गये ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद जिला आबकारी अधिकारी (आसवनी) ने कहा कि उत्पादन नियमों के अनुसार हुआ था। जि.आब.अधि. के उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय प्रयोग शाला के रासायनिक विश्लेषण प्रतिवेदन के अनुरूप उत्पादन नहीं था जैसा कि नियमों में प्रावधान है, लेकिन निर्धारित मानदण्डों से कम उत्पादन हुआ इस पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा शास्ति आरोपण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी।

3.2.2 शीरे के अतिरिक्त अन्य मूल से अल्कोहल के उत्पादन के मानकों का प्रावधान न करना

राज्य सरकार ने शीरे के अतिरिक्त अन्य मूल से अल्कोहल उत्पादन हेतु मानकों का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा जून 1997 में आश्वासन के बाद नहीं किया । तथापि टैक्नीकल एक्साइज मेन्यूअल (टी.ई.एम.) के प्रावधानानुसार एक क्विंटल अनाज जिसमें गेंहू, ज्वार एवं बाजरा सम्मिलित है,

---

[1] मै. एसोसियेटिड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज बड़वाह खरगौन
मै. सोम डिस्टिलरी सेहतगंज, रायसेन

से 40.03 प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए जबकि स्टार्च से 118.6 प्रूफलीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए।

तीन आसवनियों [2] अभिलेखों की नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि आसवनियों ने नवम्बर 2003 से अक्टूबर 2004 के मध्य 1,13,160 क्विंटल अनाज तथा 81,494 क्विंटल आटा का प्रयोग किया जिससे टैक्नीकल एक्साइज मेन्यूअल के प्रावधान के अनुसार 141.95 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल उत्पादन के विरूद्ध 86.97 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ। इसके परिणामस्वरूप 54.98 लाख प्रूफ लीटर अल्कोहल का कम उत्पादन हुआ जिसमें आबकारी शुल्क 44.73 करोड़ रूपये सन्निहित था।

प्रकरण आबकारी आयुक्त को अगस्त 2004 तथा शासन को मार्च 2005 में प्रतिवेदित किया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये ।

3.3 विदेशी मदिरा का निवर्तन न किये जाने से आबकारी शुल्क प्राप्त न होना

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में प्रावधान है कि प्रारूप एफ.एल.9/एफ.एल.9क में अनुज्ञप्ति की समाप्ति या निरस्त किये जाने पर अनुज्ञप्ति धारक, स्पिरिट तथा बोतलों में भरी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण स्टॉक जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त के नियन्त्रणाधीन रखेगा। तथापि अनुज्ञप्तिधारक को ऐसे अवशेष स्कन्ध को अनुज्ञप्ति की समाप्ति या निरस्त किये जाने के 30 दिवस के अन्दर निवर्तन करने के लिये अन्य लायसेन्सी को अनुज्ञप्त किया जा सकेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो, आबकारी आयुक्त राज्य के किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारक को ऐसे अवशेष को निर्धारित दर पर क्रय करने या उसके अन्य विधि से निवर्तन के लिये निर्देश देगा।

सहायक आयुक्त आबकारी भोपाल के अभिलेखों की मार्च 2005 में नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि एक अनुज्ञप्ति धारक 31 मार्च 2003 को लायसेंस की समाप्ति के उपरान्त 24 माह व्यतीत होने के बाद भी 2791.53 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा तथा 42120.94 प्रूफ लीटर स्पिरिट जिसमें आबकारी शुल्क 67.37 लाख रूपये सन्निहित था, का निवर्तन नहीं हुआ था। विभाग/अनुज्ञप्तिधारी ने स्टॉक के निवर्तन हेतु कोई प्रयास नहीं किये। इसके परिणामस्वरूप शासन को उस सीमा तक राजस्व प्राप्त नहीं हो सका ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर सहा.आव.अधि. ने कहा कि मामला आबकारी आयुक्त को निवर्तन हेतु भेजा गया ।

---

[2] मै. ग्रेट गेलियन सेजवाया धार
मै. एसोसियेटिड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लि. खोड़ी ग्राम बडवाह खरगौन
मै. सोम डिस्टिलरी प्रा. लि. सेहतगंज रायसेन

प्रकरण विभाग तथा शासन को अप्रेल 2005 में प्रतिवेदित किया गया ।

3.4 *निर्यात की गई विदेशी मदिरा/बीयर की अभिस्वीकृति प्राप्त न होने पर आबकारी शुल्क की वसूली न होना।*

मध्य प्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 में प्रावधान है कि भारत के अन्दर विदेशी मदिरा/बीयर का निर्यात सन्निहित शुल्क का भुगतान कर अथवा बैंक गांरटी प्रस्तुत कर अथवा समुचित प्रतिभूतियों के साथ अनुबन्ध पत्र निष्पादन करने पर किया जा सकेगा। नियमों में यह भी प्रावधान है कि निर्यातक, आयातक इकाई से निर्धारित अवधि 21 दिवस के भीतर निर्यात की गई विदेशी मदिरा/बीयर के सत्यापन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करेगा तो निहित शुल्क की वसूली की जावेंगी।

सात जिलों के अभिलेखों[3] की जून 2004 तथा मार्च 2005 के मध्य नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जून 2003 से जनवरी 2005 के दौरान 193 परमिटों से 2,11,893.55 प्रूफ लीटर विदेशी मदिरा तथा 7,77,270 बल्क लीटर बीयर के निर्यात पर 4.06 करोड़ रूपये आबकारी शुल्क वसूली योग्य था । चूंकि सत्यापन प्रतिवेदन निर्धारित अवधि 21 दिवस समाप्ति के बाद 15 से 457 दिवस बाद भी प्रस्तुत नहीं किये। विभाग ने शुल्क वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। विभाग द्वारा शुल्क वसूली में असफलता के परिणामस्वरूप 4.06 करोड़ रूपये का आबकारी शुल्क वसूल नहीं हो सका ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर आबकारी अधिकारियों ने जून 2004 एवं जनवरी 2005 के मध्य कहा कि सत्यापन प्रतिवेदन संग्रहण की कार्यवाही की जावेंगी। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि सत्यापन प्रतिवेदन 21 दिवस के भीतर प्राप्त न होने पर शुल्क आरोपणीय था।

प्रकरण विभाग तथा शासन को अगस्त 2004 तथा जनवरी 2005 में प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2005) ।

3.5 *सीलबन्द बोतलों में देशी मदिरा की विक्रय दरों का गलत निर्धारण*

विभिन्न आकार की सीलबन्द देशी मदिरा बोतलों की विक्रय दरों का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है। शासन द्वारा जून 1999 में जारी निर्देशानुसार विक्रय दरों का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि खाली बोतलों की कीमत तथा उनको सीलबंद करने में हुए व्यय के अतिरिक्त विक्रय की गई मदिरा की किसी विशिष्ट मात्रात्मक इकाई के बदले में प्राप्त मूल्य प्रत्येक आकार की बोतल के लिए एकसमान हो।

[3] भिण्ड, भोपाल, छतरपुर, ग्वालियर, इन्दौर, मुरैना तथा रायसेन

चार जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों[4] के अभिलेखों की अगस्त 2004 तथा मार्च 2005 के मध्य नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि आबकारी आयुक्त द्वारा विभिन्न मात्रायें अर्थात 180 मि.ली., 375 मि.ली. तथा 750 मि.ली. की बोतलों में देशी मदिरा के प्रति बल्क लीटर का विक्रय मूल्य का निर्धारण करते समय उसमें खाली बोतलों का मूल्य तथा उनको सीलबंद करने में हुआ व्यय भी सम्मिलित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 375 मि.ली. तथा 180 मि.ली. के आकार की बोतलों के लिए देशी मदिरा के मूल्य मसाला में 8.61 रूपये, 180 मि.ली. के सादा बोतल में 9.73 रूपये और 375 मि.ली. की मसाला तथा सादा बोतलों में 4 रूपये की दर से अप्रैल से अगस्त 2004 के दौरान गलत निर्धारण हुआ।

इसके परिणामस्वरूप विक्रय की गई देशी मदिरा के 6.67 लाख बल्क लीटर पर 48.24 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर सभी आबकारी अधिकारियों ने कहा (सितम्बर 2004 तथा मार्च 2005 के मध्य) कि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित दरों पर मदिरा का विक्रय किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा जून 1999 में जारी अनुदेशों के अनुसार विक्रय दरों का निर्धारण, बोतलों का मूल्य तथा उसको सीलबंद करने में हुए व्यय को ध्यान में रखकर नहीं किया गया ।

प्रकरण विभाग तथा शासन को (नवम्बर 2004 तथा मार्च 2005 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2005)।

3.6 आसवनी में स्पिरिट का न्यूनतम स्कन्ध संधारित न किया जाना

मध्य प्रदेश आसवनी नियम, 1995 के अनुसार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आसवनी पर स्पिरिट का न्यूनतम निर्धारित स्कन्ध संधारित करना अपेक्षित है। आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम निर्धारित स्कन्ध से कम पाई गई मात्रा पर पांच रूपये प्रति प्रूफ लीटर से अनाधिक दर से शास्ति आरोपणीय है।

पांच आसवनियों [5] के जिला आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की जून तथा दिसम्बर 2004 के मध्य नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि आसवकों द्वारा दिसम्बर 2003 एवं नवम्बर 2004 के दौरान 41 अवसरों पर स्पिरिट का निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध नहीं रखा गया । जि.आ.अ. द्वारा 57.13 लाख प्रूफ लीटर कम

---

[4] भोपाल, खण्डवा खरगौन तथा रायसेन

[5] मै. ग्रेट गेलियन सेजवाया घर
मै. रायरू डिस्टिीलरी रायरू ग्वालियर
मै. एसोसियेटिड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज खोड़ीग्राम. खरगौन
मै. सोम डिस्टिलरी सेहतगंज रायसेन
मै. रतलाम अल्कोहल एण्ड कार्बनडाईआक्साइड रतलाम ।

पाई गई स्पिरिट पर 2.85 करोड़ रूपये की शास्ति आरोपण हेतु प्रकरण आबकारी आयुक्त को भेजने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। आबकारी आयुक्त द्वारा भी स्कन्ध बनाये रखने हेतु सतत मूल्यांकन नहीं किया गया यद्यपि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा इस संबंध में उनको विवरणियां भेजी गई थी।

प्रकरण विभाग तथा शासन को अगस्त 2004 से फरवरी 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2005)।

3.7 लागत मूल्य की अन्तर राशि वसूल न होना

मध्य प्रदेश देशी स्पिरिट नियम 1995 में प्रावधान है कि अनुज्ञाप्तिधारी फुटकर विक्रेताओं को देशी मदिरा का निर्वाध प्रदाय करेगा तथा मद्य भण्डागार पर स्पिरिट तथा भरी बोतलों का निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध रखेगा, इसमें असफलता पर जिला आबकारी अधिकारी अनुज्ञाप्तिधारी के उत्तर दायित्व पर खुले बाजार से प्रचलित दरों पर क्रय कर सकेगा। उसके अतिरिक्त आबकारी आयुक्त निर्धारित न्यूनतम स्कंध से कम मिली मात्रा पर 2.00 रूपये प्रति प्रूफ लीटर से अनाधिक दर से शास्ति आरोपित कर सकेगा।

जिला आबकारी कार्यालय बड़वानी तथा भोपाल के अभिलेखों की नमूना जॉच में जनवरी तथा मार्च 2005 के मध्य प्रकट हुआ कि एक आसवनी को 25 मई 2004 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि में देशी मदिरा प्रदाय की अनुज्ञप्ति दी गई थी। अनुज्ञप्तिधारी अक्टूबर 2004 से फरवरी 2005 तक की अवधि के दौरान मदिरा प्रदाय करने में असफल रहा, आबकारी अधिकारियों ने अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत दर रूपये 0.43 तथा रूपये 0.88 प्रति प्रूफ लीटर के विरूद्ध रूपये 21.50 प्रति प्रूफ लीटर की दर से 1,41,770 प्रूफ लीटर शोधित स्पिरिट अन्य आसवनी से क्रय की गई। विभाग ने शास्ति आरोपण तथा अन्तर राशि वसूली रूपये हेतु प्रकरण आबकारी आयुक्त को अग्रेषित नहीं किये। इसके परिणामस्वरूप 29.77 लाख रूपये की राजस्व वसूली नहीं हुई । इसके अतिरिक्त निर्धारित न्यूनतम स्कन्ध से कम रखी गई स्पिरिट की मात्रा 11.47 लाख प्रूफ लीटर पर शास्ति 22.94 लाख रूपये भी आरोपित नहीं हो सकी।

प्रकरण विभाग तथा शासन को फरवरी व अप्रैल 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2005) ।

3.8 शासकीय स्थापना पर हुए व्यय की वसूली न होना

मध्य प्रदेश आसवनी नियम 1995 में प्रावधान है कि यदि आसवनी में स्थापना पर व्यय, उससे निर्गमित स्पिरिट पर निर्यात फीस या कोई अन्य उद्ग्रहण द्वारा प्राप्त राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक है तो पांच प्रतिशत से अधिक व्यय राशि को आसवक से वसूल किया जाएगा।

चार जिला आबकारी कार्यालयों [6] के अभिलेखों की जून तथा दिसम्बर 2004 के मध्य नमूना जॉच में पता चला कि वर्ष 2002–03 से 2003–04 के दौरान छः आसवनियों[7] में राज्य सरकार द्वारा स्थापना पर 17.51 लाख रूपये व्यय किया तथा शासन ने 47.29 लाख रूपये राजस्व अर्जित किया। परिणामस्वरूप स्थापना पर प्राप्त राजस्व के पांच प्रतिशत से अधिक व्यय हुई प्राप्ति योग्य राशि 15.15 लाख रूपये आसवनियों से प्राप्त नहीं की गई। इस राशि वसूली के सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद सभी आबकारी अधिकारियों ने जून तथा दिसम्बर 2004 के मध्य कहा कि स्थापना पर हुए अधिक व्यय को आसवकों द्वारा जमा नहीं किया गया। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विभाग ने राशि जमा कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की ।
प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित (अगस्त 2004 तथा मार्च 2005 के मध्य) किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2005) ।

3.9 देशी मदिरा की अमान्य छीजन

मध्य प्रदेश देशी मदिरा नियम, 1995 के अनुसार विनिर्माण मद्य भण्डागार से भण्डारण के भण्डागार तक देशी मदिरा की भरी बोतलों के परिवहन में आधिकतम 0.5 प्रतिशत टूट–फूट अनुमत्य है। अनुमत्य सीमा से अधिक छीजन पर आसवक/प्रदाय ठेकेदार शुल्क के साथ 30 रूपये प्रति प्रूफ लीटर से अनधिक से शास्ति संदत्त करने के लिये दायी होगा।

---

6 धार, ग्वालियर, खरगौन तथा रायसेन

7
1. मै. ग्रेट गेलियन प्रा. लि. सेजवाया धार
2. मै. ओएसिस डिस्टिलरी बोराली धार
3. मै. ग्वालियर डिस्टिलरी रायरू ग्वालियर
4. मै. एसोसियेटिड अल्कोहल एण्ड ब्रेवरीज लि. खोड़ीग्राम खरगौन
5. मै. अग्रवाल डिस्टिलरी सबलपुर, बडवाह, खरगौन
6. मै. सोम डिस्टिलरी सेहतगंज रायसेन

छः जिलों [8] के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि अक्टूबर 2000 तथा सितम्बर 2004 के मध्य अवधि के दौरान 1,316 प्रकरणों में 0.23 लाख प्रूफ लीटर देशी मदिरा की मार्ग हानियां अनुज्ञेय सीमा से अधिक अनुमत्य की गई । अनुज्ञप्ति धारक पर देशी मदिरा के अधिक छीजन पर 7.70 लाख रूपये आबकारी शुल्क के रूप में देने का दायित्व था इसके अतिरिक्त 6.90 लाख रूपये की शास्ति भी देय थी। विभाग द्वारा इसे आरोपित न करने के परिणामस्वरूप शासन की राजस्व 14.60 लाख रूपये की कम वसूली हुई।

प्रकरण विभाग तथा शासन को मई 2003 तथा फरवरी 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2005) ।

3.10 फुटकर विक्रेताओं से खाली बोतलों की कीमत तथा सीलिंग प्रभारों की वसूली न होना

मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम तथा उसके तहत बनाये गये नियमों में प्रावधान है कि मादक पदार्थो के लायसेंसधारी विक्रेता द्वारा अन्य लायसेंसधारी द्वारा छोड़े गये मादक पदार्थो को ऐसे मूल्य पर जिसका निर्धारण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा किया गया हो, क्रय करना अपेक्षित है।

सहायक आबकारी आयुक्त शाजापुर के अभिलेखों की नवम्बर 2004 में नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि 10 देशी मदिरा दुकानें अप्रैल से अक्टूबर 2004 के मध्य विभागीय रूप से संचालित की गई वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए फुटकर विक्रेताओं को आवंटित की गई । इन दुकानों पर मदिरा का शेष स्कन्ध नये अनुज्ञप्तिधारी को स्थानान्तरित किया गया, लेकिन आबकारी शुल्क, खाली बोतलों की कीमत तथा सीलिंग प्रभार की राशि 5.93 लाख रूपये उनसे वसूल नहीं की गई।

इसके इंगित किये जाने के बाद स.आ. आ. ने नवम्बर 2004 में कहा कि वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

प्रकरण विभाग तथा शासन को जनवरी तथा मार्च 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2005) ।

[8] धार, हरदा, पन्ना, सीधी, श्योपुर तथा उज्जैन

अध्याय -- 4 वाहनों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 के दौरान वाहनों पर कर से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 2,100 प्रकरणों में 68.79 करोड़ रूपये के कर के अनिर्धारण/अवनिर्धारण तथा राजस्व की हानि प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	*श्रेणी*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1.	लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर, शास्ति एवं संयोजन शुल्क का अनारोपण/कम आरोपण	620	5.57
2.	माल वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण/कम आरोपण	695	1.58
3.	अन्य	784	39.25
4.	मोटर वाहन कर की बकाया	1	22.39
	योग	**2,100**	**68.79**

विभाग द्वारा 2,099 प्रकरणों में 46.40 करोड़ रूपये के कम निर्धारण को स्वीकार किया गया जिन्हें वर्ष 2004–05 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया, सात प्रकरणों में वर्ष 2004–05 के दौरान 27.70 लाख रूपये की वसूली की गई।

कुछ महत्वपूर्ण दृष्टात्मक प्रकरण जिनमें 6.35 करोड़ रूपये सन्निहित है, का इस अध्याय में उल्लेख किया गया है।

4.2 मोटर वाहन कर का बकाया

4.2.1 प्रस्तावना

मध्य प्रदेश मोटर कराधान अधिनियम (अधिनियम) 1991 में प्रावधान है कि राज्य में उपयोग में लाए गए या उपयोग हेतु रखे गए प्रत्येक मोटरयान पर कर का उदग्रहण अधिनियम तथा मध्य प्रदेश मोटरयान नियम 1994 (नियम) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दर से किया जाएगा। अधिनियम के अंतर्गत आरोपित कर का भुगतान मोटर वाहन स्वामी द्वारा अग्रिम रूप से मासिक, तिमाही, छः माही में या वार्षिक किया जाएगा। जहां वाहन स्वामी कर भुगतान का घोषणा पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर, वाहन स्वामी को लिखित में अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात, कर एवं शास्ति की राशि का निर्धारण कर बिना किसी विलंब के कर, शास्ति तथा ब्याज की राशि की वसूली के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करेगा। जहां मोटर वाहन के संबंध में कर का भुगतान किया जाता है तो कराधान प्राधिकारी वाहन स्वामी को इस आशय का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा । कर का भुगतान किये जाने संबंधी तथ्य वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में अभिलेखन किया जाएगा।

यदि देय कर का भुगतान निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है, तो वाहन स्वामी प्रत्येक माह या उसके किसी भाग कीं चूक के लिए शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा। इसके अतिरिक्त, नियत दिनांक की समाप्ति से छः माह पश्चात ब्याज भी आरोपित किया जाना वांछित है।

यदि कोई वाहन स्वामी इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर शास्ति अथवा ब्याज का भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी, जिस पर ऐसी राशि देय है, राज्य शासन को देय राशि के लिए प्रपत्र ई–2 में वाहन स्वामी को एक नोटिस जारी करेगा। नोटिस देने के पश्चात् यदि सात दिनों के भीतर राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसकी वसूली मध्य प्रदेश भू –राजस्व संहिता,1959 के अंतर्गत भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जायगी है। भू –राजस्व के बकाया के रूप में बकाया राशि की वसूली की शक्तियां राज्य शासन द्वारा सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को दिनांक 9 दिसम्बर 1969 से प्रत्यायोजित की गई है।

4.2.2 बकाया की स्थिति

विभाग में बकाया राजस्व की स्थिति का निर्धारण करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश कराधान नियमों में मांग एवं वसूली पंजी संधारित किए जाने का प्रावधान है। परिवहन आयुक्त ने बकाया कर राशि की वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए मासिक, त्रैमासिक तथा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करना निर्धारित किया है।

वर्ष 2004 के दौरान परिवहन आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जॉच वर्ष 2004 में पता चला कि इकाईयों द्वारा यद्यपि मासिक विवरणियां प्रेषित की जा रहीं थी, लेकिन इन्हें परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा समेकित न किए जाने के कारण, संग्रहण हेतु लंबित बकाया राजस्व की वर्षवार स्थिति उपलब्ध नहीं थी। इसके इंगित किये जाने के बाद विभाग ने बताया कि जानकारी एकत्र की जा रही थी तथा उसके प्राप्त होते ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत की जाएगी ।

31 मार्च 2004 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से एकत्र की गई बकाया राजस्व की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार थी।

(करोड़ रूपयों में)

क्र.	*वर्ष*	*वर्ष के दौरान संग्रहीत मोटर वाहन कर राजस्व*	*वर्ष के अंत में मोटरयान कर से वसूली हेतु बकाया (निजी वाहन स्वामी)*
1.	1999–2000	402.01	20.80
2.	2000–2001	405.90	11.09
3.	2001–2002	393.33	18.39
4.	2002–2003	428.64	18.34
5.	2003–2004	454.92	20.35

- ***बकाया की शुद्धता***

पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी[1] पांच क्षे.प.अ.[2] तथा जिला परिवहन अधिकारी सीधी और टीकमगढ़ कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि इकाईयों द्वारा परिवहन आयुक्त को प्रस्तुत किए गए बकाया के आंकड़ो तथा इकाईयों में लंबित वास्तविक बकाया राशि में व्यापक भिन्नता थी।

(लाख रूपये में)

क्र.	इकइयों का नाम	परिवहन आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार बकाया के आंकड़े	लेखापरीक्षा की गई इकाईयों के अनुसार बकाया के वास्तविक ऑकड़े	अंतर	भिन्नता का प्रतिशत
1.	भोपाल	42.06	176.70	134.64	320.11
2.	छतरपुर	9.24	64.77	55.53	600.97
3.	छिंदबाड़ा	66.00	145.51	79.51	120.46
4.	ग्वालियर	660.91	770.65	109.74	16.60
5.	होशंगाबाद	06.40	42.26	35.86	560.31
6.	खण्डवा	26.47	30.72	4.25	16.06
7.	मुरैना	149.84	258.50	108.66	72.51
8.	सागर	78.13	106.50	28.37	36.31
9.	सिवनी	3.22	125.98	122.76	3,812.42
10.	शहडोल	15.48	132.11	116.63	753.42
11.	सीधी	165.31	180.31	15.00	9.07
12.	टीकमगढ़	12.10	73.84	61.74	510.25
		1,235.16	**2,107.85**	**872.69**	

इससे यह परिलक्षित होता है कि बकाया की स्थिति विश्वसनीय नहीं है और पुनर्मिलान की आवश्यकता है। शीर्ष स्तर पर बकाया की शुद्वता पर निगरानी हेतु सघन सतत मूल्यांकन की आवश्यकता है।

---

1 भोपाल, ग्वालियर होशंगाबाद, मुरैना तथा सागर

2 छतरपुर, छिंदबाड़ा, खण्डवा, शहडोल तथा सीधी

- लेखापरीक्षा की गई इकाईयों के बकाया का समयावधि अनुसार विश्लेषण :

निजी वाहन स्वामी

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	राशि
1.	10 वर्ष से अधिक	1.69
2.	5 से 10 वर्ष	3.96
3.	3 से 5 वर्ष	4.60
4.	1 से 3 वर्ष	11.34
	योग –	**21.59 करोड़**[3]

- मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

(करोड़ रूपयों में)

क्र.	अवधि	राशि
1.	15 वर्ष से अधिक पुराना	239.41
2.	10 से 15 वर्ष तदैव	244.53
3.	5 से 10 वर्ष तदैव	1,182.91
4.	3 से 5 वर्ष तदैव	245.47
5.	1 से 3 वर्ष तदैव	719.48
	योग –	**2,631.80**

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल से चार जिला परिवहन कार्यालय[4] जुलाई 1999 से अलग कर दिए गए। इन जिला परिवहन कार्यालयों को संबंधित जिलो का कर निर्धारण का प्राधिकार प्रदत्त किया गया। इन जिलों से संबंधित बकाया कर, शास्ति तथा ब्याज 58.22 लाख रूपये की राशि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल द्वारा संबंधित जिलों को जनवरी 2001 में हस्तांतरित की जानी दर्शाई गई। यह राशि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, भोपाल के बकाया विवरण पत्रक से घटा दी गई। तथापि संबंधित

---

3 इसमे अति.परिवहन अधिकारी सतना से संबंधित 51.41 लाख रूपये का बकाया सम्मिलित है।

4 राजगढ़, रायसेन, सीहोर तथा विदिशा

जिलों में वसूली हेतु बकाया के प्रति सत्यापन से पता चला कि ऐसी कोई राशि लेखांकित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 58.22 लाख रूपये बकाया का लेखांकन नहीं हुआ ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल ने सितम्बर 2004 में बताया कि प्रकरणों की जॉच करने के उपरान्त लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है (दिसम्बर 2005) ।

4.2.3 प्रारम्भिक अभिलेखों का उचित संधारण न किया जाना

अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, बकाया राशि की वसूली पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक कराधान प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप में करों की एक मांग तथा वसूली पंजी संधारित करेंगा, जिसमें वाहन स्वामियों द्वारा किए गए भुगतान का विवरण तथा संग्रहण हेतु लंबित बकाया की स्थिति अभिलेखित की जाएगी।

चार क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी[5] तथा चार अति.परिवहन अधिकारी[6] कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि पंजियों में उचित ढ़ंग से प्रविष्टियां नहीं की गई थी। कराधान प्राधिकारियों द्वारा विगत वर्षो तथा तिमाही/वर्ष के अंत में बकाया राजस्व की स्थिति का आंकलन नहीं किया गया था।

आगे पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी[7] चार अति.परिवहन अधिकारी[8] तथा जिला परिवहन अधिकारी टीकमगढ़ कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि कराधान प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इसकी अनुपस्थिति में विभाग भुगतान में चूक करने वालों से/चूककर्ताओं से वसूली हेतु बकाया देय राशि की वसूली की प्रगति पर प्रभावी निगरानी रखने की स्थिति में नहीं था।

4.2.4 आंतरिक लेखापरीक्षण

जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं की रोकथाम तथा संसूचन में सहायक नियमों तथा विभागीय अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 1992 में परिवहन आयुक्त के नियंत्रणाधीन एक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा का गठन किया गया था।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जॉच अगस्त 2004 में प्रकट हुआ कि वर्ष 2000–2001, 2001–2002 तथा 2003–2004 के दौरान कोई भी आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई जबकि वर्ष 1999–2000 और 2000–2001 के दौरान इकाईयों की जॉच का प्रतिशत नगण्य रहा ।

---

[5] भोपाल, ग्वालियर मुरैना तथा सागर

[6] छतरपुर, छिंदबाड़ा, सिवनी तथा शहडोल

[7] भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, मुरैना तथा सागर

[8] छिंदबाड़ा, सतना, सिवनी तथा शहडोल

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद परिवहन आयुक्त ने अगस्त 2004 में बताया कि कर्मचारियों की कमी के कारण लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी।

4.2.5 बकाया कर को वसूल करने में विभाग की विफलता

- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि वाहन स्वामी उपधारा 8 (1) या (2) के अंतर्गत वांछित कर भुगतान की घोषणा प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार तथा वाहन स्वामी को लिखित में एक आदेश द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किए जाने के बाद ऐसे वाहन स्वामी द्वारा देय कर की राशि का निर्धारण कर उसकी सूचना ऐसे प्रारूप तथा समयावधि में जो निर्धारित की जाए, संबंधित वाहन स्वामी को प्रेषित करेगा।

पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी[9] पांच अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी[10] तथा चार जिला परिवहन अधिकारी[11] के कार्यालयों अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि अप्रैल 1999 से मार्च 2004 के मध्य की अवधि से संबंधित 14.86 करोड रूपये की राशि निजी वाहन स्वामियों के विरूद्ध वसूली हेतु बकाया थी। बकाया देय राशि के भुगतान के लिए चूक कर्ताओं को पहला नोटिस कब जारी किया गया था, ऐसा अभिलेखों में दर्शाने के लिये कुछ नहीं था, इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा चूक कर्ताओं द्वारा देय शास्ति व ब्याज की राशि निकाली नहीं गई। विभाग द्वारा देय राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसे लेखापरीक्षा में जून 2004 तथा अगस्त 2005 के मध्य इंगित किए जाने के बाद, संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि प्रकरणों के परीक्षण के उपरान्त बकाया राशि की वसूली हेतु कार्रवाई की जाएगी। आगामी कार्रवाई की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2005) ।

- अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यदि कोई वाहन स्वामी कर या शास्ति या दोनों का भुगतान करने में असफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी राज्य शासन को देय राशि के लिए ऐसे वाहन स्वामी को एक मांग नोटिस जारी करेगा। नोटिस तामील होने के सात दिन के भीतर नोटिस में शामिल राशि का भुगतान करने में विफल होने की स्थिति के कराधान प्राधिकारी द्वारा भू–राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली की जा सकेगी ।

---

[9] भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, मुरैना तथा सागर

[10] छतरपुर, धार, खण्डवा, सतना तथा शहडोल

[11] भिंड, शिवपुरी, सीधी तथा टीकमगढ़

चार क्षे.प.अ.[12] चार अति.परि.अधि.[13] तथा पांच जि.प.अ.[14] कार्यालयों के अभिलेखों की जून 2004 तथा अगस्त 2005 के मध्य नमूना जॉच में पता चला कि यद्यपि अप्रैल 1999 तथा मार्च 2004 के मध्य 1,739 वाहन स्वामियों को अप्रैल 1999 तथा मार्च 2004 के मध्य की अवधि से संबंधित 6.53 करोड़ रूपये राशि के बकाया कर तथा शास्ति की वसूली हेतु मांग नोटिस जारी किए गए, वाहन स्वामियों द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया । इसके पश्चात राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। कराधान प्राधिकारियों की ओर से विफलता के कारण शास्ति सहित 6.53 करोड़ रूपये के कर की वसूली नहीं हो सकी।

इसे लेखापरीक्षा में जून 2004 तथा अगस्त 2005 के मध्य इंगित किए जाने के बाद संबंधित क्षे.प.अ./ अति.क्षे.प.अ. तथा जि.प.अ. ने बताया कि प्रकरणों की परीक्षा के उपरान्त वसूली की कार्रवाई की जाएगी। जबकि सहा.क्षे.प.अधि. सिवनी ने एक प्रकरण में बताया कि तहसीलदार द्वारा प्रेषित जानकारी के अनुसार चूककर्ता के नाम पर कोई भी अचल सम्पत्ति नहीं थी। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तहसीलदार के पत्र में उल्लेख है कि चूककर्ता के नाम पर एक पक्की दो मंजिला दुकान है। वसूली की आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2005) ।

4.2.6 उन प्रकरणों में, जहां बकाया राशि वसूली योग्य नहीं, अनुवर्ती कार्रवाई करने में विफलता

अधिनियम की धारा 15(1)(2) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत चूककर्ता को एक नोटिस जारी किया जाएगा जिसके तामील होने के दिनांक से सात दिन के भीतर उसे बकाया राशि जमा करनी होगी जिसमें असफल रहने पर चूककर्ता की सम्पत्ति कुर्क कर ली जाएगी।

सिवनी में अति.क्षेत्र.प.का. के अभिलेखों की नमूना जॉच फरवरी 2005 में पता चला कि 37 प्रकरणों में चूककर्ताओं की सम्पत्ति का विवरण विभाग के पास उपलब्ध न होने के कारण अप्रैल 1999 से मार्च 2004 तक की अवधि से संबंधित 71.82 लाख रूपये के कर की वसूली नहीं की जा सकी। इन विवरणों के अभाव में, भू–राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसके परिणामस्वरूप 71.82 लाख रूपये की बकाया राशि की वसूली नहीं हुई ।

इसे फरवरी 2005 में लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के बाद अति. क्षे. प.अ. सिवनी ने बताया कि वसूली के सभी तरीके कार्यान्वयन हो चुके थे। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सम्पत्ति का कोई विवरण न तो राजस्व विभाग से लिये गये और न ही वस्तु स्थिति को परिवहन आयुक्त की जानकारी में लाया गया।

---

[12] भोपाल, होशंगाबाद, इदौर तथा सागर

[13] छतरपुर, छिंदवाड़ा सिवनी तथा शहडोल

[14] झाबुआ, नरसिंहपुर, रायसेन, रतलाम तथा टीकमगढ़

4.2.7 न्यायालयीन आदेश के बावजूद भी पुन : कर निर्धारण में विलम्ब

- अति. क्षे.प.का. शहडोल के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि छः लोक सेवा वाहनों के अवधि जून 1997 एवं सितम्बर 2001 के मध्य की अवधि का निर्धारण फरवरी 2003 में कर 30.60 लाख रूपये का मांग पत्र जारी किया गया। वाहन स्वामी ने अगस्त 2003 में कराधान प्राधिकारी द्वारा जारी कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध न्यायालय में याचिका दायर की । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने अपने निर्णय (14.11.2003 द्वारा) याचिका कर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए आठ सप्ताह की अवधि के भीतर 3 लाख रूपये की राशि जमा करने के लिए कहा तथा साथ ही निर्धारण प्राधिकारी को यथासंभव शीघ्रता के साथ कर निर्धारण को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। निर्धारित अवधि के भीतर 3 लाख रूपये जमा करने के बाद भी कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सितम्बर 2004 तक प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया। कराधान प्राधिकारी की ओर से कर के पुनर्निर्धारण में विलंब के परिणामस्वरूप 27.60 लाख रूपये के कर की वसूली नहीं हुई।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, परिवहन आयुक्त ने बताया (अगस्त 2005) कि प्रकरण के पुनर्निर्धारण हेतु कार्रवाई की जा रहीं है। आगामी प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त नही हुई थी (दिसम्बर 2005) ।

4.2.8 सिफारिशें

वसूली के प्रयासों में सुधार करने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की जाती है:

- विभाग द्वारा प्रत्येक लंबित प्रकरण में नियमित एवं सतत मूल्यांकन तथा वसूली हेतु अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रभावी कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए।
- विभाग द्वारा वाहन स्वामियों से वाहनों के पंजीयन हेतु आवेदन करते समय उनके व्यवसायिक पते तथा चल एवं अचल सम्पत्ति का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने लिए आग्रह किया जाना चाहिए जिसे इसके पश्चात विभाग द्वारा उचित ढंग से अभिलेखवद्ध कर भुगतान में चूक होने की स्थिति में संदर्भ हेतु नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।
- अभिलेखों के संधारण में सुधार करने के लिए विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है जिसकी वजह से प्रभावी वसूली कार्रवाही को प्रारम्भ करने तथा उस पर कार्रवाई करने में प्रमुख बाधा आई ।

प्रकरण शासन को दिसम्बर 2003 तथा अप्रैल 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2005) ।

4.3 वाहनों पर वाहन कर एंव शास्ति की वसूली न होना

अधिनियम तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों, के अनुसार, राज्य में उपयोग किये गए या उपयोग हेतु रखे गये प्रत्येक मोटर वाहन कर का उदग्रहण अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से किया जाएगा। यदि देय कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो वाहन स्वामी देय कर के अतिरिक्त प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए कर की असंदत्त रकम के एक तिहाई की दर से किन्तु कर की असंदत्त रकम के दुगुने से अनधिक शारित फरवरी 2003 तक तथा उसके बाद शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतिशत के आधार पर शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा। यदि वाहन स्वामी कर या शास्ति अथवा दोनों का भुगतान करने में असफल रहता है तो ऐसी स्थिति में कराधान प्राधिकारी मांग हेतु नोटिस जारी करेगा और देय राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जावेगी।

सात क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों छः अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों तथा पांच जिला परिवहन कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि जुलाई 1999 और मार्च 2004 के मध्य 1,262 वाहनो से संबंधित 3.23 करोड़ रूपये का वाहन कर वाहन स्वामियों द्वारा जमा नहीं किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसे आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त 2.57 करोड़ रूपये की शास्ति यद्यपि देय थी आरोपित नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 5.80 करोड़ रूपये के शासकीय राजस्व का कम उदग्रहण हुआ जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है :

(लाख रूपये में)

कार्यालयों के नाम/संख्या	वाहनों की श्रेणी	कर की देयता	शास्ति का लगान	कुल कम आरोपण
क्षे.परि.अधि.• (सात) अति.क्षे. प.अधि." (छः) जि. प.अ.[1] (चार)	स्टेज परमिट पर चलने वाली 154 लोक वाहन	98.93	60.90	159.83
टिप्पणी – इसे इंगित किये जाने के बाद कर प्राधिकारी के द्वारा 9.14 लाख रूपये की वसूली की। शेष प्रकरणों में की गई कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई (दिसम्बर 2005)				
क्षे.प.अ.• (सात) अति.क्षे.प.अ." (छः) जि.प.अ.[⊗] (पांच)	338 रिजर्व/अतिरिक्त वाहन	148.00	111.00	259.00
टिप्पणी – इसे इंगित किये जाने के बाद कर निर्धारण प्राधिकारी ने 3.95 लाख रूपये वसूल किये। शेष अन्य प्रकरणों में की गई कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई (दिसम्बर 2005)				
क्षे. प. अ.• (सात) अति.क्षे.प.अ." (छः) जि.प.अ.[⊗] (पांच)	702 माल वाहन	68.42	74.24	142.66
टिप्पणी – इसे इंगित किये जाने के बाद कर निर्धारण प्राधिकारी ने 6.33 लाख रूपये वसूल किये। शेष अन्य प्रकरणों में की गई कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई (दिसम्बर 2005)				
क्षे.प.अ. (जबलपुर) अ.क्षे.प.अ. (छतरपुर एवं धार) जि.प.अ. (विदिशा)	41 मिनी वाहन	3.49	5.13	8.62
टिप्पणी – इसे इंगित किये जाने के बाद कर निर्धारण प्राधिकारी ने 0.81 लाख रूपये वसूल किये। शेष अन्य प्रकरणों में की गई कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई (दिसम्बर 2005)				
क्षे.प.अ. (ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना) अति.क्षे.प.अ. (धार)	27 निजी सेवा वाहन	4.45	5.82	10.27
टिप्पणी – इसे इंगित किये जाने के बाद कर निर्धारण प्राधिकारी ने 1.20 लाख रूपये वसूल किये। शेष अन्य प्रकरणों में की गई कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई (दिसम्बर 2005)				
योग	**1,262**	**323.29**	**257.09**	**580.38**

• भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, मुरैना एवं धार

" छतरपुर, छिंदबाड़ा, धार, सतना, सिवनी एवं शहडोल

[1] बैतूल, सीधी, टीकमगढ़ एवं विदिशा

[⊗] बैतूल, पन्ना, सीधी, टीकमगढ़ एवं विदिशा

4.4 अंतर्राज्यीय मार्गों पर संचालित अन्य राज्यों के लोक सेवा वाहनों पर वाहन कर एवं शास्ति का अनारोपण

अधिनियम तथा नियम, 1991 के प्रावधानों के अनुसार, अन्य राज्य के किसी मोटर वाहन को पारस्परिक परिवहन करार के अंतर्गत राज्य में संचालित करने की अनुमति नामित प्राधिकारी को निर्धारित दर से कर के भुगतान करने पर दी जाती है, जिसमें चूक होने पर वाहन स्वामी अधिनियम में विनिर्दिष्ट दर से शास्ति के भुगतान के लिए दायी होगा। यदि वाहन स्वामी कर या शास्ति अथवा दोनों का भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कराधान प्राधिकारी द्वारा देय राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकती है।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मुरैना तथा अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, मंदसौर के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि अप्रैल 2002 तथा मार्च 2004 के मध्य की अवधि के दौरान पारस्परिक परिवहन करार के अंतर्गत अंतर्राज्यीय मार्गो पर संचालित राजस्थान राज्य के 15 लोक सेवा वाहनों से संबंधित 4.15 लाख रूपये के वाहन कर तथा 3.86 लाख रूपये की शास्ति का भुगतान वाहन स्वामियों द्वारा नहीं किया गया और न ही कराधान प्राधिकारियों द्वारा इसकी वसूली की गई। इसके परिणामस्वरूप 8.01 लाख रूपये के कर एवं शास्ति का अनारोपण हुआ।

इसे इंगित किये जाने के बाद परिवहन आयुक्त ने अगस्त 2005 में बताया कि 2.23 लाख रूपये की राशि वसूल की जा चुकी है। अन्य प्रकरणों में राशि की वसूली के लिए कार्रवाई की जा रही है।

प्रकरण शासन को मार्च 2004 तथा जनवरी 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2005) ।

4.5 शुल्क आरोपण के बिना वाहनों को आरक्षित पंजीयन संख्याओं का आवंटन किए जाने के कारण राजस्व की हानि

मध्य प्रदेश शासन द्वारा फरवरी 2001 में जारी अधिसूचना के अनुसार पंजीयन प्राधिकारी वाहन स्वामियों से आवेदन तथा निर्धारित शुल्क का भुगतान प्राप्त होने पर किसी भी चालू श्रृंखला में किसी भी वाहन को आरक्षित पंजीयन संख्या आवंटित कर सकेगा।

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी धार तथा जिला परिवहन अधिकारी पन्ना कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि वाहन स्वामियों से निर्धारित शुल्क की वसूली के बिना राज्य शासन द्वारा आरक्षित पंजीयन संख्यायों का आवंटन 20 फरवरी 2001 तथा 31 मार्च 2004 के मध्य 434 वाहनों को किया गया। इसके परिणामस्वरूप 47.12 लाख रूपये की राजस्व हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने के बाद, परिवहन आयुक्त ने अगस्त 2005 में बताया कि 4.04 लाख रूपये की राशि वसूल की जा चुकी है तथा शेष प्रकरणों में वसूली हेतु कार्रवाई की जा रहीं है।

प्रकरण अगस्त तथा नवम्बर 2004 के मध्य शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2005) ।

अध्याय –5 अन्य कर प्राप्तियाँ

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस एवं मनोरंजन शुल्क, भू–राजस्व के निर्धारण तथा संग्रहण से संबंधित अभिलेखों की वर्ष 2004–05 के दौरान की गयी नमूना जॉच में 1,19,765 प्रकरणों में 197.96 करोड़ रूपये के राजस्व का अनिर्धारण/अवनिर्धारण तथा अन्य हानियां प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	*श्रेणी*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
अ –	*मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस*		
1	प्रकरणों के निराकरण में असाधारण विलम्ब	2,773	10.99
2	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली	136	0.67
3	मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान में गलत छूट	762	0.68
4	विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण हानि	113	0.66
5	अन्य अनियमितताऐं	591	2.20
	योग	***4,375***	***15.20***

ब – मनोरंजन शुल्क			
1	वी.सी.आर. तथा वी.सी.पी. के स्वामियों द्वारा मनोरंजन शुल्क कम जमा /जमा न किया जाना	110	0.12
2	केबल संचालकों से प्रतिभूति जमा/मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना	406	0.31
3	मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना	–	–
4	अन्य	173	0.19
	योग	*689*	*0.62*
स – भू – राजस्व			
1	राजस्व वसूली प्रमाण पत्रों के विरूद्व राजस्व संग्रहण में विलम्ब	25,670	67.08
2	व्यपवर्तन लगान व प्रब्याजि का अनिर्धारण/कम निर्धारण तथा पुनरीक्षण न होना।	4,372	24.16
3	पंचायत उपकर का उद्ग्रहण न करना तथा अर्थदण्ड एवं शास्ति का वसूली न करना	44,123	22.44
4	अन्य	40,536	68.46
	योग	*1,14,701*	*182.14*
	महायोग	*1,19,765*	*197.96*

विभागों द्वारा वर्ष 2004–05 के 1.19 लाख प्रकरणों में अंतर्निहित 194.54 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण स्वीकार किया, इनमे से 1.15 लाख प्रकरणों में अन्तर्निहित 181.95 करोड़ रूपये इंगित किये गये वर्ष 2004–05 से संबंधित है और शेष पूर्व वर्षो से संबंधित है। एक प्रकरण में 0.35 लाख रूपये की वसूली की जा चुकी है ।

कुछ दृष्टात्मक प्रकरणों , जिनमें 8.75 करोड़ रूपये की राशि अंतनिर्हित है, का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है ।

अ– मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस

5.2 सहकारी गृह निर्माण समितियों के पक्ष में विलेखों के निष्पादन से राजस्व की हानि

शासन की 24 अक्टूबर 1980 की अधिसूचना के अनुसार, गृह निर्माण प्रयोजन के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु प्राथमिक गृह निर्माण समितियों (समितियों) के पक्ष में निष्पादित विलेख, मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं । विभाग ने अगस्त 2001 में ऐसे सभी प्रकरणों की समीक्षा करने के निर्देश दिये थे जिनमें समितियों को हस्तांतरण विलेखों पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान से मुक्त किया गया था लेकिन बाद में भूमि का उपयोग समिति के सदस्यों को गृह निर्माण के बजाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया गया था । ऐसे प्रकरणों में क्रय की गई भूमि के समय मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान में दी गई छूट की वसूली की जाना थी ।

उप पंजीयक कार्यालय भोपाल एवं ग्वालियर के अभिलेखों की मई एवं जून 2004 के मध्य नमूना जांच में समितियों द्वारा/के पक्ष में निष्पादित सात विलेखों में 16.44 लाख रूपये की राजस्व हानि निम्नानुसार पाई गई :–

- अप्रैल 2002 से मई 2003 के मध्य चार विलेखों में 95.80 लाख रूपये मूल्य की गृह निर्माण प्रयोजन के लिए क्रय की गई भूमि का उपयोग समिति के सदस्यों ने गृह निर्माण प्रयोजनों हेतु नहीं किया गया और बाद में 2003–04 में अन्य समितियों/व्यक्तियों को दे दी गई । अतः 10.28 लाख रूपये स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की दी गई छूट वसूली योग्य हो गई थी । तथापि, इन राशियों की वसूली हेतु कार्यवाही नहीं की गई ।

- 57.06 लाख रूपये मूल्य की भूमि क्रय के तीन विलेखों में गृह निर्माण प्रयोजन उल्लिखित नहीं था। तथापि प्रयोजनों को गृह निर्माण मानकर 6.16 लाख रूपये मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के भुगतान की छूट प्रदान की गई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद उप पंजीयक भोपाल ने मई 2004 में बताया कि इस कमी का निवारण समितियों के पक्ष में संशोधन विलेख निष्पादन करवाकर हो जावेगा । उत्तर मान्य करने योग्य नहीं है क्योंकि शुल्क प्रस्तुत एवं पंजीयत विलेख पर देय है । उप पंजीयक ग्वालियर ने जुलाई 2004 में बताया कि प्रकरण संग्राहक को आवश्यक कार्यवाही हेतु संदर्भित किये जावेंगे ।

प्रकरण (अक्टूबर 2004 एवं फरवरी 2005 के मध्य) महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक तथा शासन को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2005) ।

5.3 मुद्रांक शुल्क की वसूली न होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की अनुसूची एक के अनुच्छेद 15, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में लागू है, की धारा 2(5) के अनुसार बंधपत्र के मूल्य या राशि पर चार प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क के आरोपण का प्रावधान है ।

संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश से प्राप्त जानकारी से पता चला कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विशेष क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण ग्वालियर ने 16 मार्च 2001 और 20 मई 2002 के मध्य ऋण के पुर्नभुगतान हेतु 10.74 करोड़ रूपये एवं 18 करोड़ रूपये, के दो बंधक पत्र 1.15 करोड़ रूपये के देय मुद्रांक शुल्क के भुगतान के बिना निष्पादित किये गये । इसके परिणामस्वरूप शासकीय देय राशि 1.15 करोड़ रूपये की सीमा तक कम वसूली की जा सकी।

इसे नवम्बर 2004 में इंगित किये जाने के बाद मुद्रांक संग्राहक ग्वालियर ने बताया कि दोषी के विरूद्व एक प्रकरण पंजीकृत किया गया है तथा वसूली हेतु जनवरी 2005 में मांग पत्र जारी कर दिया गया है ।

प्रकरण पंजीयन महानिरीक्षक एवं शासन को नवम्बर 2004 एवं फरवरी 2005 के मध्य ध्यान में लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2005) ।

5.4 अनेक सुभिन्न विषयों से संबंधित विलेख

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, की धारा 5 के अनुसार कई सुभिन्न मामले समाविष्ट करने वाली या उससे संबंधित कोई विलेख ऐसे शुल्कों की संकलित रूप से प्रभार्य होगी जिससे हर एक ऐसे विषय को समाविष्ट करने वाली या उससे संबंधित पृथक पृथक विलेखों पर इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य होती हैं ।

उप पंजीयक भोपाल एवं इन्दौर के अभिलेखों की जून 2004 एवं अक्टूबर 2004 के मध्य नमूना जांच में पता चला कि दो विक्रेताओं ने एक फ्लेट एवं बंगला 39 लाख रूपये में क्रय किया था । भवन निर्माता ने वेन्डर्स के पक्ष में जो डीड निष्पादित की थी उसकी जांच से पता चला कि भवन निर्माता ने भूमि अन्य व्यक्ति से विनिमय आधार पर / विक्रय अनुबंध निष्पादन पर क्रय की थी । अनुबंध का वर्णन इंगित करती है कि कब्जा और अन्य सम्पत्ति के अधिकार वेन्डर्स को सौंपे गए । इन विलेखों को विक्रय अनुबंध/विनिमय के स्थान पर अभिहस्तांतरण वर्गीकृत की जाना चाहिए था । इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की 1.80 करोड़ रूपये की कम वसूली हुई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद, उप पंजीयक इन्दौर ने अक्टूबर 2004 में बताया कि प्रश्नाधीन विलेख भवन निर्माता के साथ भूमि के विक्रय का अनुबंध था तत्पश्चात उसी भूमि पर फ्लेट उप क्रयकर्ता को विक्रय हेतु निर्माण किया गया एवं तद्नुसार मुद्रांक शुल्क केवल फ्लेट के विक्रय पर प्रभारित की गई । विभाग का कथन मान्य नहीं है क्योंकि दिनांक 20 जुलाई 1994 को विक्रय अनुबंध आधार पर भूमि का निर्धारित शर्त के तहत भवन निर्माता को स्थानान्तरण किया गया था ।

प्रकरण पंजीयक महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक के ध्यान में नवम्बर 2004 तथा फरवरी 2005 के मध्य लाया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2005) ।

5.5 *विलेखों का गलत वर्गीकरण*

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अंतर्गत विलेखों पर उनके वर्गीकरण के अनुसार अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर या समय समय पर शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मुद्रांक शुल्क आरोपणीय है ।

भोपाल के उप पंजीयक कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 16 विलेखों के पंजीयन गलत वर्गीकरण जून 2001 और मार्च 2004 के मध्य किये गये जिसमें से 72 लाख मूल्य के आठ विलेख व्यवस्थापन कम मुख्तार नामा जबकि 24 लाख रूपये मूल्य के मुख्तार नामा तथा अन्य आठ विलेख उपहार लेख के स्थान पर व्यवस्थापन लेख मानने से गलत वर्गीकृत हुये । जिससे मुद्रांक शुल्क और पंजीयन फीस 5.91 लाख रूपये की जगह 1 लाख रूपये आरोपित किये गये । इसके परिणामस्वरूप शासन के राजस्व की 4.91 लाख रूपये की कम वसूली हुई। इसी तरह 4.36 करोड़ रूपये मूल्य के जबलपुर एवं लटेरी के दो विलेखों को अधिकार सहित विक्रय के स्थान पर अधिकार रहित विक्रय माना गया । गलत वर्गीकरण के कारण 38.44 लाख रूपये के स्थान पर 0.80 लाख रूपये का आरोपण हुआ । इसके परिणामस्वरूप 37.64 लाख रूपये की शासन के राजस्व की कम वसूली हुई ।

इसे लेखा परीक्षा में मार्च 2004 और मई 2004 के मध्य इंगित किये जाने के बाद पंजीयन विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु स्वीकार किया गया। आगामी कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई ।

5.6 प्रकरणों के निराकरण में विलम्ब

भारतीय मुद्रांक अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत मुद्रांक संग्राहक को उप पंजीयक द्वारा उसको प्रेषित प्रकरणों में सम्पत्ति के बाजार मूल्य तथा उस पर आरोपणीय मुद्रांक शुल्क की राशि का निर्धारण करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। मध्य प्रदेश शासन ने मार्च 1977 में ऐसे प्रकरणों के निराकरण हेतु नौ माह की अधिकतम अवधि निर्धारित की है ।

14 उप पंजीयकों कार्यालयों[1] के अभिलेखों की (सितम्बर 2003 एवं नवम्बर 2004 के मध्य)नमूना जांच में पता चला कि मुद्रांक संग्राहक को सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु अप्रैल 1999 और जनवरी 2004 के मध्य प्रेषित 1,625 विलेखों का अन्तिम निर्धारण नहीं किया गया था । इसके परिणामस्वरूप उप पंजीयकों द्वारा प्रस्तावित 5.16 करोड़ रूपये की राजस्व की वसूली नहीं हो सकी ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद सभी उप पंजीयकों द्वारा (सितम्बर 2003 और नवम्बर 2004 के मध्य) बताया कि मुद्रांक संग्राहक को प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु निवेदन किया जावेगा । प्रकरण विभाग तथा शासन को (नवम्बर 2003 तथा फरवरी 2005 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2005) ।

---

1 बड़नगर, भिण्ड, छिन्दवाड़ा, देपालपुर (इन्दौर), धार, हरदा, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, कोलारस (शिवपुरी) पन्धाना (खण्डवा), सतना, शाजापुर और उज्जैन ।

ख. मनोरंजन शुल्क

5.7 केबल आपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की वसूली न होना

मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार केबल टेलिविजन नेटवर्क तथा होटल या लाजिंग वाला प्रत्येक मालिक जो केबल सेवा के माध्यम से मनोरंजन उपलब्ध कराता हो, नियत दरों से मनोरंजन शुल्क का भुगतान करेगा ।

आठ जिला आबकारी अधिकारी* /सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालयों के अभिलेखों की फरवरी और नवम्बर 2004 के मध्य की गई नमूना जांच में पाया गया कि केबल के द्वारा मनोरंजन कराने वाले 320 केबल आपरेटरों तथा छः होटल या लॉज भवन मालिकों से मई 1999 से अक्टूबर 2004 तक की अवधि के दौरान 16.88 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क की वसूली नहीं की गई । इसके परिणामस्वरूप 16.88 लाख रूपये के मनोरंजन शुल्क की वसूली नहीं हुई ।

प्रकरण शासन को फरवरी और मार्च 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2005) ।

स भू – राजस्व

5.8 राजस्व वसूली प्रकरणों का पंजीबद्ध न किया जाना

मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 तथा मध्य प्रदेश लोकधन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रावधानानुसार वसूली अधिकारी राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर इन्हें राजस्व प्रकरण पंजी में दर्ज करेगा तथा चूककर्ता को 15 दिन के अन्दर मांगपत्र जारी करेगा ।

---

* दमोह, कटनी, पन्ना, रीवा, सिवनी, शहडोल, सागर और शाजापुर

नौ तहसीलों [2] की जनवरी और अगस्त 2005 के मध्य नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 2001–02 से 2004–05 की अवधि के दौरान प्राप्त हुये 1,393 वसूली प्रमाणपत्रों, जिनमें 4.84 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित के प्रकरण या तो बिना पंजीबद्व किये पड़े रहे अथवा कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी । इसके परिणामस्वरूप बकाया देय पांच माह से 48 माह तक बिना वसूली के रह गयी।

इसे इंगित किये जाने के बाद सभी तहसीलदारों ने उत्तर में बताया कि अभिलेखों के सत्यापन के पश्चात प्रकरण दर्ज किये जायेंगे तथा लेखापरीक्षा को तद्नुसार अवगत कराया जावेगा ।

प्रकरण आयुक्त भू–अभिलेख एवं शासन को अप्रैल 2004 से अगस्त 2005 के मध्य के प्रतिवेदित किये गये; जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2005) ।

5.9 प्रक्रिया व्यय की वसूली न होना

लोकधन अधिनियम 1987 के प्रावधान एवं संचालनालय वित्तीय संस्थान के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 1995 के अनुसार, राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करने वाले बैंकिग प्राधिकारी का दायित्व है कि वह वसूल की गयी मूलधन राशि का तीन प्रतिशत प्रक्रिया व्यय वसूल कर चालान द्वारा कोषालय में जमा करें । यह वैधानिक आवश्यकता है ।

आठ तहसीलों [3] के अभिलेखों तथा अग्रणी बैंकों द्वारा प्रस्तुत वसूली आंकड़ों की नमूना जांच फरवरी 2003 से जनवरी 2004 के मध्य में पाया गया कि अप्रैल 1999 और मार्च 2005 के मध्य 6.58 करोड़ रूपये की वसूली जारी राजस्व प्रमाणपत्रों के विरूद्व वसूली की गयी । राजस्व वसूली अधिकारी द्वारा प्रक्रिया व्यय 19.74 लाख रूपये न तो सम्मिलित किया गया और न ही बैंकों द्वारा जमा किया गया है । ऐसी कोई विधि विद्यमान नहीं है जिससे प्रक्रिया व्यय बैंकों द्वारा जमा कराया जा सके ।

इसे इंगित किये जाने के बाद कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रकरण आयुक्त भू–राजस्व और शासन को फरवरी 2004 और अगस्त 2005 के मध्य प्रतिवेदित किये गये ; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (दिसम्बर 2005) ।

---

2 बैतूल, भिण्ड, बड़नगर (उज्जैन), चितरंगी (सीधी), इन्दौर, कटनी, केशली (सागर) मुरैना तथा लहार (भिण्ड)

3 बड़वानी, बैतूल, भिण्ड, गंजबासौदा (विदिशा), हट्टा (दमोह), लहार (भिण्ड), मुरैना और सेंधवा (बड़वानी)

अध्याय – 6 वन प्राप्तियाँ

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 के दौरान वन प्राप्तियों से सम्बंधित अभिलेखों की नमूना जांच में 185 प्रकरणों में 191.65 करोड़ रूपये की राजस्व हानि का पता चला, जिसे मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	*श्रेणी*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1	बांस/इमारती लकड़ी के कूपों का विदोहन न किये जाने के कारण हानि	37	83.68
2	अवरोध मूल्य से कम पर विक्रय के कारण हानि	18	7.53
3	वनोपज की गुणवत्ता में ह्रास/कमी के कारण हानि	43	13.48
4	इमारती लकड़ी के पुनर्मापन के कारण राजस्व हानि	08	0.59
5	वनोपज का लेखांकन न करने से हानि	08	3.05
6	इमारती लकड़ी/बांस के अनुमानित उत्पादन से कम उत्पादन के कारण हानि	19	15.81
7	अन्य	52	67.51
	योग	***185***	***191.65***

विभाग ने वर्ष 2004–05 के दौरान पांच प्रकरणों में अंतर्निहित 43.68 लाख रूपये की हानि को स्वीकार किया। इन पांच प्रकरणों में से चार प्रकरण जिनमें 22.22 लाख रूपये अन्तर्निहित है, 2004–05 के दौरान इंगित किये गये शेष पिछले वर्ष से संबंधित है।

कुछ दृष्टात्मक प्रकरण जिनमें 4.00 करोड़ रूपये अन्तर्निहित है, इस अध्याय में उल्लिखित हैं।

6.2 इमारती लकड़ी के कम उत्पादन के कारण राजस्व हानि

विभागीय नियमावली के अनुसार, पातन के लिए चिन्हित किए गए वृक्षों से प्राप्त होने वाली इमारती लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी की मात्रा, कूपों को चिन्हित करते समय चिन्हांकन पंजी में पृथक से दर्ज की जाती है। वृक्षों के चिन्हांकन तथा पातन का कार्य परिक्षेत्र अधिकारियों तथा उप मंडलीय अधिकारियों के पर्यवेक्षणाधीन किया जाता है । आगे, जनवरी 1984 में जारी विभागीय अनुदेशों में यह निर्धारित किया गया था कि इमारती लकड़ी के अनुमानित तथा वास्तविक उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक भिन्नता नहीं होना चाहिए।

दो वन मंडलों के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला कि 16 कूपों में 5,16,796 वृक्षों का चिन्हांकन कर पातन किया गया जिनमें वर्ष 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान इमारती लकड़ी के 26,874.358 घन मीटर तथा 23,399 जलाऊ चट्टों के संशोधित अनुमानित उत्पादन के विरूद्ध 19,621.47 घन मीटर इमारती लकड़ी तथा 18,148 जलाऊ चट्टों का वास्तविक उत्पादन हुआ। इमारती लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी के वास्तविक उत्पादन में क्रमशः 26 तथा 30 प्रतिशत और 16 से 33 प्रतिशत के मध्य कमी पाई गई 10 प्रतिशत की अनुमत्य भिन्नता की छूट देने के बाद भी वास्तविक उत्पादन में 4,565.453 घन मीटर इमारती लकड़ी तथा 2,911 जलाऊ चट्टे की कमी पाई गई जिसमें 49.79 लाख रूपये के विदोहन एवं परिवहन प्रभारों के समायोजन के उपरान्त, नीचे दिए गए विवरणानुसार 3.02 करोड़ रूपये की राजस्व हानि अंतर्निहित थी ।

क्र. सं.	मंडल	वर्ष	कूपों की संख्या	वृक्षों की संख्या चिन्हांकित पातन किए गए	विवरण	उत्पादन		कमी	राजस्व हानि रूपयों में	प्रतिशत
						अनुमानित घन मीटर	वास्तविक घन मीटर			
1	वन मंडल कार्यालय (उत्पादन) खण्डवा	2002 से 2004	09	3,95,558	इमारती लकड़ी	21,461[1]	15,853	5,608	1,75,35,030	26
				3,95,558	जलाऊ लकड़ी	14,694	12,285	2,409	5,11,985	16
2.	वन मंडल कार्यालय (उत्पादन) हरदा	2003 से 2004	07	1,21,238	इमारती लकड़ी	54,13.358	37,68.470	1,644.888	1,09,64,903	30
				1,21,238	जलाऊ लकड़ी	8,705	5,863	2842	11,46,465	33
	योग –	2002 से 2004	16	5,16,796	इमारती लकड़ी	26,874,358	19,621.47	7,252.888	2,84,99,933	27
				5,16,796	जलाऊ लकड़ी	23,399	18, 148	5,251	16,58,450	22
						संख्या	संख्या	संख्या		
							महायोग 3,01,58,383 अथवा 3.02 करोड़			

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने के बाद, वन मंडलाधिकारी (उत्पादन) खण्डवा ने मार्च 2004 में बताया कि अनुमानित उत्पादन की मात्रा में संशोधन किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है चूंकि

[1] संशोधित अनुमानित

लेखापरीक्षा अभ्युक्ति/प्रेक्षण पातन कार्य के काफी समय बाद मई तथा जून 2004 में वन मंडलाधिकारी (सामान्य) खण्डवा द्वारा तैयार किए गए संशोधित अनुमानों पर आधारित है। वन मंडलाधिकारी (उत्पादन) हरदा कम उत्पादन के लिए कोई औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत नहीं कर सके।

प्रकरण प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा शासन को नवम्बर 2004 तथा मार्च 2005 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। (दिसम्बर 2005) ।

6.2.1 औद्योगिक बांस की अनियमित प्रदाय करने के कारण कम्पनी को अनुचित लाभ

नीलामी द्वारा औद्योगिक बांस के विक्रय हेतु निर्धारित शर्तो के अनुसार विक्रय आदेश के दिनांक से छः माह के भीतर या अपवादिक परिस्थितियों में वन संरक्षक द्वारा बढ़ाई गई किसी अवधि के भीतर यदि क्रेता द्वारा खरीदा गया बांस उसके द्वारा आगार से नहीं उठाया जाता है तो आगार में पड़ा हुआ माल उसके विक्रय मूल्य सहित शासन द्वारा राजसात कर दोबारा नीलाम कर दिया जाएगा। राजसात किए गए ऐसे माल पर मूल क्रेता द्वारा कोई भी दावा नहीं किया जा सकेंगा। नीलामी की शर्तो में जारी आदेशों की समीक्षा करने या राजसात के बाद माल उठाने की अवधि को बढ़ाने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

वन मंडलाधिकारी (उत्पादन) बैतूल के अभिलेखों की नमूना जॉच में प्रकट हुआ (अक्टूबर 2002) कि गावासेन आगार में भंडारित/संग्रहीत 7121.973 विक्रय इकाई (एस.यू.)[2] औद्योगिक बांस 22 सितम्बर 2001 को हुई नीलामी में मिल को बेचा गया । विक्रय आदेश 3 नवम्बर 2001 को जारी किया गया । अतः मिल द्वारा आगार से सम्पूर्ण माल 2 मई 2002 तक उठाया जाना वांछित था। तथापि मिल द्वारा 21.46 लाख रूपये मूल्य के 3,075.175 विक्रय इकाई बांस को निर्धारित अवधि के भीतर नहीं उठाया जा सका। वन मंडलाधिकारी (उत्पादन) बैतूल ने शासन के पक्ष में दिनांक 6 मई 2002 को आगारों में छोड़े गए माल को माल को नीलामी की शर्तो के तहत जब्त कर लिया क्योंकि अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ । 17 मई 2002 को बांस राजसात के पश्चात बांस की पुनः नीलामी के स्थान पर वन संरक्षक को दो माह बढ़ाने की अनुशंसा तथ्य को स्पष्ट किये बिना कि बांस का 6 मई 2002 को राजसात किया जा चुका है, प्रस्ताव भेजा ।

वन संरक्षक द्वारा दो माह बढ़ाने के लिए 23 मई 2002 को मंजूरी प्रदान की गई और मिल को बचे हुए, माल को उठाने की अनुमति दी गई । इस तरह मिल को 21.46 लाख रूपये का अनियमित लाभ पहुंचाया ।

---

[2] विक्रय इकाई 2400 रनिंग मीटर है।

शासन ने मार्च 2005 में बताया कि 6 मई 2002 तक वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से समयावधि को बढ़ाने के संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था अतः नीलामी शर्त क्रमाक 14(ख) के परिप्रेक्ष्य में वन मंडलाधिकारी द्वारा बांस का राजसात नियमानुसार था ।

उक्त उत्तर लेखापरीक्षा अभ्युक्ति की पुष्टि करता है कि बांस की जब्ती के आदेश के दिनांक से 11 दिन पश्चात वन मंडलाधिकारी द्वारा समयावधि विस्तार हेतु अनियमित अनुशंसा किए जाने से अनियमित लाभ प्रदान किया गया ।

6.2.2 अनुबंध के प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने के कारण राजस्व की हानि

मैसर्स ओरिएंट पेपर मिल तथा वन संरक्षक, बैतूल वृत्त के मध्य निष्पादित अनुबंध (7 मई 2003) की धारा 7 (ii) के अनुसार क्रेता को बेचा गया बासं जिसे क्रेता द्वारा संविदा अवधि अर्थात 31 अक्टूबर 2003 तक न उठाया गया हो, शासन के पक्ष में राजसात कर लिया जाएगा जिसे शासन द्वारा उपयुक्त समझे गए तरीके से निवर्तित किये जाने के लिये स्वतन्त्र होगा।

वन मंडलाधिकारी (उत्पादन) बैतूल के अभिलेखों की नमूना जॉच में पता चला (जनवरी 2004) कि एक कारखाना को निविदा द्वारा 5190.832 विक्रय इकाई औद्योगिक बांस बेचा गया था । माल की सम्पूर्ण मात्रा 31 अक्टूबर 2003 तक उठाई जानी वांछित थी जिसमें से 1,927.868 विक्रय इकाई बांस ही निर्धारित अवधि के भीतर उठाया जा सका। शेष बचे 37.52 लाख रूपये मूल्य का 3,262.964 विक्रय इकाई बांस वन संरक्षक द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार शासन के पक्ष में नवम्बर 2003 को राजसात कर लिया गया । क्रेता ने राजसात के विरूद्ध अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से यह निवेदन करते हुए अपील की कि चूंकि वित्तीय संकट, खराब सड़कों, भारी बारिश तथा रेलवे वैगनों की कमी के कारण भुगतान करने में विलंब हुआ था अतः परिवहन की समयावधि जून 2004 तक बढ़ाई जाए।

यद्यपि परिवहन की समयावधि बढाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में अनुबंध में कोई प्रावधान नहीं था, क्रेता की अपील पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा समयावधि को 120 दिन बढ़ा दिया गया । अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के निर्णय के परिणामस्वरूप 37.52 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई।

6.3 वनोपज की निवर्तन प्रणाली में विफलता के कारण राजस्व की हानि

वन नियमावाली के प्रावधानों के अनुसार, अवरोध मूल्य के निर्धारण के पश्चात वनोपज को सार्वजनिक नीलामी में निवर्तित किया जाएगा। यदि प्राप्त विक्रय मूल्य अवरोध मूल्य के बराबर नहीं है तो वनोपज के निवर्तन के लिए सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

वन मंडलाधिकारी उत्तर नर्मदा (उत्पादन) खण्डवा के अभिलेखों की जनवरी 2005 में नमूना जॉच में पता चला कि 128 ढ़ेरों में रखी गई 408.527 घन मीटर इमारती लकड़ी तथा 69,685 बल्लियां नीलामी में 63.47 लाख रूपये के अवरोध मूल्य के विरूद्ध 24.22 लाख रूपये में बेची गई जिसके परिणामस्वरूप शासन को 39.25 लाख रूपये के राजस्व की हानि हुई। इमारती लकड़ी को दो से पांच बार नीलामी में रखा गया लेकिन नवम्बर 2002 तथा फरवरी 2004 के अवधि के मध्य इन ढ़ेरों का विक्रय मूल्य अवरोध मूल्य से 55 से 88 प्रतिशत के मध्य तक कम था। विभाग ने वन उत्पादों को बन्द निविदाओं द्वारा निवर्तन करने के कोई प्रयास नहीं किये ।

शासन ने, जिसे प्रकरण प्रतिवेदित किया गया था, बताया (जून 2005) कि निविदा प्रणाली का पालन करना न तो व्यवहारिक है और न ही पद्वति को अनुपालन करना आवश्यक समझा गया । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वन नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

अध्याय –7 खनन प्राप्तियाँ

7.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 के दौरान खनन प्राप्तियों के निर्धारण एवं संग्रहण से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 250.71 करोड़ रूपये की राशि के राज्यांश, अनिवार्य किराए का अनिर्धारण/कम निर्धारण, संविदा राशि, राज्यांश, खनिज क्षेत्र विकास उपकर की वसूली न होना तथा राज्यांश के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज के अनारोपण आदि से संबंधित 1,286 प्रकरणों का पता चला, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

(करोड़ रूपयेमें)

क्रम संख्या	*श्रेणी*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
1.	खनिज क्षेत्र विकास उपकर एवं राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों के विरूद्ध राजस्व वसूली न करना/कम करना	317	9.40
2.	राज्यांश एवं अनिवार्य किराए का अनिर्धारण	87	90.49
3.	राज्यांश के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण/ कम अनारोपण	22	12.52
4.	गौण खनिजों पर राज्यांश एवं शास्ति का अनारोपण तथा संविदा राशि, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की वसूली न होना	53	42.87
5.	अन्य	807	95.43
	योग	***1,286***	***250.71***

वर्ष 2004–05 के दौरान विभाग द्वारा 340 प्रकरणों में अंतर्निहित 88.92 लाख रूपये राशि के राज्यांश एवं अनिवार्य किराये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया गया । सभी प्रकरण वर्ष 2004–05 के दौरान इंगित किये गये ।

2.53 करोड़ रूपये की राशि अंतर्निहित के कुछ दृष्टात्मक प्रकरणों, को इस अध्याय में उल्लेखित किया गया है ।

7.2 ब्याज की हानि एवं प्रक्रिया व्यय का अनिर्धारण

खान एवं खनिज (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अनुसार यदि कोई किराया, राज्यांश, फीस एवं अन्य राशि राज्य सरकार को भुगतान हेतु बकाया के रूप में देय रहती है तो वह भुगतान की नियत दिनांक की समाप्ति के दिनांक से साठ वें दिन से 24 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज के भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा । लोकधन अधिनियम 1987 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं निदेशालय वित्तीय संस्थान द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23 मार्च 1995 के अनुसार बैंक प्राधिकारी जो राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र जारी करता है, उनमें प्रक्रिया व्यय तीन प्रतिशत की दर से मूल राशि में जोडकर वसूल करने तथा कोषालय में चालान द्वारा जमा करने के लिये उत्तरदायी है।

खनिज कार्यालय मुरैना एवं विदिशा के अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि राज्यांश की मार्च 2004 को बकाया राशि 1.04 करोड़ रूपये के राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र बकायादारों को यद्यपि जारी किये गये थे परन्तु 1.78 करोड़ रूपये ब्याज के रूप में आरोपित नहीं किये गये एवं देय प्रक्रिया व्यय 0.03 करोड़ रूपये राजस्व वसूली प्रमाण–पत्र में सम्मिलित नहीं किये गये । इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित प्रक्रिया व्यय राशि 1.81 करोड़ रूपये का अनारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया है । तथापि राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रों में राशि सम्मिलित न करना तथा उस राशि की वसूली की कार्यवाही न करने का कारण नहीं बताया गया ।

प्रकरण शासन को दिसम्बर 2004 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2005) ।

7.3 अनिवार्य किराये का अनारोपण

खान एवं खनिज (नियमन एवं विकास) अधिनियम के अनुसार खनि पट्टाधारी चाहे उसे पट्टा खान एवं खनिज (नियमन एवं विकास) अधिनियम लागू होने या उससे पूर्व दिया गया हो तथा उसके पट्टा विलेख में किसी भी चीज के होते हुए या दूसरे इसी कानून को प्रभावशाली होते हुए भी उसे राज्य शासन को प्रत्येक वर्ष तृतीय अनुसूची में प्रदर्शित दरों पर पट्टा विलेख में समाहित क्षेत्र हेतु अनिवार्य किराये का भुगतान करेगा । यदि अनिवार्य किराया निर्धारित दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया तो 24 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देय होगा ।

खनिज कार्यालय शहडोल एव हीरा अधिकारी पन्ना के अभिलेखों की जांच सितम्बर 2004 तथा जनवरी 2005 के मध्य में प्रकट हुआ कि अनिवार्य किराये की राशि 33.04 लाख रूपये अवधि 1999 से 2004 तक पट्टाधारियों से बकाया थी । इसके अतिरिक्त बकाया राशि पर ब्याज 9.30 लाख रूपये भी देय था । विभाग द्वारा वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इसके फलस्वरूप रूपये 42.34 लाख रूपये के राजस्व की वसूली नहीं हो सकी ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के बाद खनिज अधिकारी शहडोल एवं हीरा अधिकारी पन्ना ने सितम्बर 2004 एवं जनवरी 2005 के मध्य बताया कि कार्यवाही की जाकर लेखा परीक्षा को सूचित किया जावेगा । आगामी कार्यवाही की प्रगति प्राप्त नहीं हुयी (दिसम्बर 2005) ।

प्रकरण शासन को दिसम्बर 2004 एवं मार्च 2005 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2005) ।

7.4 राज्यांश/ब्याज का अनारोपण/कम आरोपण

खान एवं खनिज (नियमन एवं विकास) अधिनियम के अनुसार खनि पट्टाधारी, जिसे इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व पट्टा दिया गया था, तथा उसके पट्टे में अन्य किसी बात के न होते हुये भी या अधिनियम के लागू होने के समय किसी कानून के होते हुये उसके द्वारा या उसके प्रतिनिधि मेनेजर, कर्मचारी, ठेकेदार या उप पट्टाधारी द्वारा खनि पट्टा क्षेत्र से हटाये गये या उपभोग किये गये खनिज पर देय राज्यांश का भुगतान द्वितीय अनुसूची में दर्शायी गयी दरों पर करना होगा । यदि राज्यांश विनिर्दिष्ट दिनांक तक भुगतान नहीं किया गया तो 24 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देय होगा।

- खनिज कार्यालय कटनी के अभिलेखों की नमूना जांच जुलाई 2004 और मई 2005 के मध्य प्रकट हुआ कि तीन पट्टाधारी ने जुलाई 1999 के दिसम्बर 2005 तक की अवधि का राज्यांश 4.50 लाख रूपये का भुगतान नहीं किया । विभाग ने बकाया राज्यांश और उस पर देय ब्याज 1.32 लाख रूपये की राशि बसूली की कोई कार्यवाही नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 5.82 लाख रूपये राजस्व की वसूली नहीं हो सकी ।

लेखा परीक्षा (जुलाई 2004) में इगित करने के बाद खनिज अधिकारी ने बताया कि सत्यापन पश्चात लेखापरीक्षा को सूचित किया जावेगा ।

- इसके अतिरिक्त, एक दूसरा पट्टाधारी सीमेन्ट के उत्पादन हेतु अप्रैल 2003 से मार्च 2004 के दौरान सफेद मिट्टी का उपयोग कर रहा था और 21 रूपये प्रति टन के स्थान पर 10 रूपये प्रति

टन की दर से राज्यांश का भुगतान कर रहा था । इसके परिणामस्वरूप 25.50 लाख रूपये का ब्याज सहित राज्यांश का कम भुगतान हुआ ।

प्रकरण संचालक भौमिकी एवं खनि कर्म तथा शासन (जुलाई 2004 एवं मई 2005 के मध्य) को सूचित किया गया, प्रथम प्रकरण में उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जबकि दूसरे प्रकरण में शासन ने जून 2005 में बताया कि पट्टाधारी के विरूद्व मांग सृजित की गई (अगस्त 2005) ।

7.5 राज्यांश एवं ब्याज का अपवंचन/कम वसूली करना

खनिज रियायत नियम, 1960 में प्रावधान है कि प्रत्येक पट्टाधारी प्रत्येक माह खनिज जावक का विवरण अगले माह की 10 तारीख तक खनिज अधिकारी को प्रस्तुत करेगा । खनन अधिकारी पट्टाधारी के द्वारा देय अनिवार्य किराये/राज्यांश का पूंछताछ तथा सत्यापन पश्चात, जैसा वह आवश्यक समझे, निर्धारण करेगा । चूना पत्थर पर राज्यांश की दर 40 रूपये प्रति टन थी ।

खनिज कार्यालय दमोह के अभिलेखों की नमूना जांच करने पर प्रकट हुआ कि पट्टाधारी मै. डायमण्ड सीमेन्ट के वर्ष 2002–03 के वार्षिक विवरण में 15.32 लाख टन चूना पत्थर का जावक बताया था तथा 6.13 करोड़ रूपये के स्थान पर 5.83 करोड़ रूपये का राज्यांश भुगतान किया। इसके फलस्वरूप 29.61 लाख रूपये के राज्यांश का अपवंचन हुआ । इसके अतिरिक्त, 10.81 लाख रूपये का ब्याज भी देय था ।

लेखापरीक्षा (सितम्बर 2004)में इंगित किए जाने के बाद विभाग ने बताया कि प्रकरण पर विचार किया जायेगा तथा कार्यवाही की जायेगी (दिसम्बर 2005) ।

अध्याय – 8 अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ

8.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2004–05 के दौरान लोक निर्माण, जल संसाधन , सहकारिता , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति कृषि,लोक स्वास्थ्य, विद्युत शुल्क और सुरक्षा विभाग से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 3,015 प्रकरणों में 95.23 करोड़ रूपये की राशि के राजस्व की अवसूली/कम वसूली एवं हानि प्रकट हुई, जिन्हें मोटे तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :–

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	*श्रेणी*	*प्रकरणों की संख्या*	*राशि*
	लोक निर्माण विभाग		
1.	पट्टा किराये की अवसूली	19	1.03
2.	दण्ड दर से लायसेन्स फीस की अवसूली	1,019	0.19
3.	हानि की अवसूली	11	0.27
4.	तकनीकी कर्मचारियों के नियोजन न करने पर शास्ति की अवसूली	29	0.02
5	अन्य	618	2.28
	योग	*1,696*	*3.79*

	जल संसाधन विभाग		
1	समुन्नति अंशदान का अनारोपण	31	2.79
2.	तकनीकी कर्मचारियों के नियोजन न करने पर शास्ति का अनारोपण	144	0.23
3.	विलम्ब से भुगतान पर शास्ति का अनारोपण	71	10.19
4.	अन्य	642	58.03
	योग	***888***	***71.24***
	सहकारिता विभाग		
1.	अंकेक्षण शुल्क की अवसूली/कम वसूली	84	0.77
2.	अन्य	05	0.04
	योग	**89**	**0.81**
	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग		
1.	राजसात माल का निवर्तन न होना	19	0.32
2.	अन्य	24	0.09
	योग	***43***	***0.41***
	कृषि विभाग		
1.	राजस्व का कोषालय में जमा न करना	01	0.07
2.	संस्थानों के अपंजीयन से हानि	03	0.04
3	अन्य	64	1.34
	योग	***68***	***1.45***

	लोक स्वास्थ्य विभाग		
1.	अन्य	55	0.01
	योग	***55***	***0.01***
	विद्युत शुल्क एवं सुरक्षा		
1.	विद्युत उपकर का कम निर्धारण	05	16.93
2.	विद्युत उपकरण और देय ब्याज की अवसूली	01	0.05
3.	अनियमित छूट से हानि	09	0.53
4.	अन्य	161	0.01
	योग	***176***	***17.52***
	महायोग	***3,015***	***95.23***

वर्ष 2004–05 के दौरान विभाग द्वारा 836 प्रकरणों में अन्तर्निहित 67.24 लाख रूपये के कर का अवनिर्धारण स्वीकार किया । ये सभी प्रकरण 2004–05 के दौरान इंगित किये गये थे ।

एक उदाहरणात्मक प्रकरण, जिसमें 5.99 करोड़ रूपये की राशि अन्तर्निहित है , का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है ।

लोक निर्माण विभाग

8.2 शासकीय आवासों का गलत वर्गीकरण से लायसेंस फीस का कम आरोपण/वसूली

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग ने जुलाई 1990 में स्पष्ट किया कि अवर्गीकृत आवासों को भूतल क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत कर वरिष्ठ अधिकारियों को आबंटित किये जायें तथा उसी के अनुसार लायसेंस फीस वसूल की जावे । मध्य प्रदेश शासन ने वसूली योग्य लाइसेन्स फीस को जून 2000 में शासकीय कर्मचारियों को आबंटित आवास की लायसेंस फीस श्रेणी अनुसार 50 रूपये से 1150 रूपये प्रतिमाह पुनरीक्षित की ।

लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं भवन) संभाग क्रमांक 1 ग्वालियर के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 45 आवासीय भवनों जो वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अप्रैल 2001 से मार्च 2004 तक की अवधि में अधिग्रहण किये हुए थे, कार्यपालन यंत्री द्वारा बिना श्रेणी के आवासों का आंकलन कर लायसेंस फीस कम दर पर निर्धारित कर वसूली की गई । इसके फलस्वरूप 5.99 लाख रूपये की लायसेंस फीस के रूप में कम आरोपण/वसूली हुई ।

इसके बाद जुलाई 2004 में इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया कि कार्यवाही की जावेगी ।

प्रकरण विभाग एवं शासन को अगस्त 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य प्रतिवेदित किया गया ; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2005) ।

ग्वालियर
दिनांक 17 MAR 2006

(जे.एन. गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार
(निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 21 MAR 2006

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक